



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276501
CG-DL-E-25092026-276501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 250]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

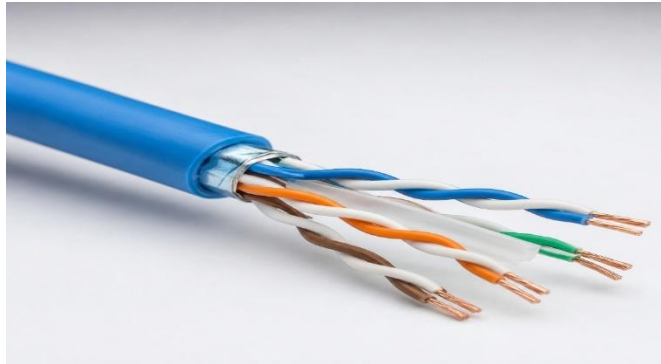
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (ओआई) – 39/2025

चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कॉपर डेटा केबल्स” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच-अंतिम जांच परिणाम



फा. सं. 6/44/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स बिरला केबल लिमिटेड ("बीसीएल") और मैसर्स स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("एसटीएल") (जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से 'आवेदक' कहा गया है) ने अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य ("चीन" या "पीआरसी") (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉपर डेटा केबल्स" (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' अथवा 'संबद्ध वस्तु' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।
2. और चूंकि, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत रूप से रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/44/2025-डीजीटीआर, दिनांक 18 सितंबर 2025 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू की गई, ताकि संबद्ध वस्तु के किसी भी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क.1 जांच की शुरूआत

- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
- ii. क्षति अवधि के साथ-साथ जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार विवरण प्रदान करने के लिए डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों

की मात्रा के निर्धारण और सौदों की विधिवत रूप से जांच करने के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

- iii. नियम 6 के अनुसार, आवेदन की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना तथा कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 18 सितंबर 2025 की सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की।
- iv. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जाँच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया।

क.2 जांच की अवधि

- v. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) तक की है। क्षति जांच अवधि (आईआईपी) में वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि शामिल है।

क.3 आवेदन के अगोपनीय अंश का परिचालन

- vi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- vii. नियम 6(4) के अनुसरण में, सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के विवरण सहित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली जारी की गई थी। जहां कहीं भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति प्रदान की गई थी।

क.4 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भागीदारी

- viii. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके प्रतिक्रिया दी है:

- क. जिन्हुआ गुआंगयांग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("जेजीईटी")
- ख. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
- ग. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (सूझोउ) कंपनी लिमिटेड
- घ. निंगबो एक्सिलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कंपनी लिमिटेड
- ङ. झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड

च. एक्सीलेंस वायर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
 छ. सीआरएक्सकोनेक कंपनी लिमिटेड

ix. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करके प्रतिक्रिया दी है:

क. एम्फेनॉल एफसीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ख. पीवी ल्युमेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

x. जॉच शुरूआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, वर्तमान जांच में किसी भी एसोसिएशन ने भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली संबंधी कोई अनुरोध नहीं किया है।

xi. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जॉच में अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।

xii. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी।

xiii. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अथवा इस जांच से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें असहयोगी माना गया है।

क.5 आगे की प्रक्रिया

xiv. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों के अगोपनीय अंश हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपस में परिचालित किए गए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।

xv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 23 जनवरी 2026 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का निर्देश दिया गया था।

xvi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार किया गया है।

xvii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार, गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की ऐसी गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी उचित समझा गया गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां

भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

- xviii. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और आंकड़ों की सटीकता का प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान उस सीमा तक सत्यापन किया गया जहां तक इसे प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक माना गया था। प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन अंतिम जाँच परिणाम का आधार बनता है और प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही में अपने विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xix. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच के दौरान समय पर जानकारी देने से इनकार किया है अथवा जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की है, वहाँ ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज किए गए हैं।
- xx. प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों/आयातकों आदि को भेजे गए दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के सूचना पत्र के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां मांगी थीं। हितबद्ध पक्षकारों से पीयूसी के दायरे को बढ़ाने की मांग करते हुए टिप्पणियां प्राप्त हुईं, और पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। तथापि, प्राधिकारी ने नोट किया कि पीयूसी के दायरे को जाँच शुरूआत के चरण में निर्धारित परिभाषा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित पीयूसी और पीसीएन के दायरे को अधिसूचित किया।
- xxi. क्षतिरहित कीमत की गणना आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उत्पादन और बिक्री लागत के आधार पर की गई है।
- xxii. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई जानकारी पर, उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाने पर, विचार किया गया है।
- पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने 08.09.2026 को एक प्रकटन विवरण जारी किया। इसमें मौजूदा एंटी-डॉपिंग जांच से जुड़े मामले में विचार किए जा रहे ज़रूरी तथ्यों का खुलासा किया गया। सभी संबंधित पक्षों से प्रकटन विवरण पर जो टिप्पणियां मिलीं, उनमें से जो भी प्रासंगिक और गैर-दोहराव वाली थीं, उन पर इन अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- xxiii. इस दस्तावेज में '****' चिह्न किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई जानकारी को दर्शाता है।

xxiv. संबंधित जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 85.45 रुपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जांच की शुरुआत के चरण में, निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में माना गया था:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" कहा गया है) "कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड्स सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल्स" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) है। कॉपर डेटा केबल में आमतौर पर कॉपर कंडक्टरों के ट्विस्टेड पेयर्स शामिल होते हैं, जो पॉलीथीन या अन्य शीथिंग सामग्री से इंसुलेटेड होते हैं, जिसमें ब्रेडिंग, ड्रेन वायर, व्यक्तिगत और/या समग्र फॉयल शील्ड और एक विभाजक शामिल भी हो सकता है और नहीं भी, जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क ("लैन") पर डेटा और सिग्नलों के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसमें शील्डेड और अनशील्डेड दोनों प्रकार की डेटा केबल शामिल हैं, जिन्हें उनके निष्पादन के आधार पर कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कॉपर डेटा केबल का मुख्य रूप से हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, दूरसंचार, नेटवर्किंग, ऑडियो-वीडियो ट्रांसमिशन आदि के लिए लैन केबल के रूप में उपयोग किया जाता है।"

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. न्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पीयूसी के दायरे में सीसीए (कॉपर क्लैड एल्युमिनियम) और सीसीएम (कॉपर क्लैड एल्युमिनियम मैग्नीशियम) केबलों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

6. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार पीयूसी के दायरे की पुष्टि करें।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में पीयूसी कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड्स सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल्स हैं। कॉपर डेटा केबल में आमतौर पर कॉपर कंडक्टरों के मुड़े हुए जोड़े शामिल होते हैं, जो पॉलीथीन या अन्य शीथिंग सामग्री से इंसुलेटेड होते हैं, जिसमें ब्रेडिंग, ड्रेन वायर, व्यक्तिगत और/या समग्र फॉयल शील्ड और एक विभाजक शामिल हो भी सकता है और नहीं भी, जिसका उपयोग

लोकल एरिया नेटवर्क ("लैन") पर डेटा और सिग्नलों के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसमें शील्डेड और अनशील्डेड दोनों प्रकार की डेटा केबल शामिल हैं, जिन्हें उनके निष्पादन के आधार पर कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कॉपर डेटा केबल का मुख्य रूप से हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, दूरसंचार, नेटवर्किंग, ऑडियो-वीडियो ट्रांसमिशन आदि के लिए लैन केबल के रूप में उपयोग किया जाता है।

8. पीयूसी को अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसका शीर्षक "विद्युत मशीनरी और उपस्कर तथा उनके भाग; ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि और ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, तथा ऐसी वस्तुओं के भाग और उपसाधन" है, जिसके अंतर्गत यह एचएस कोड 854449 में आता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई थी। दिनांक 18.09.2025 की जाँच शुरूआत अधिसूचना के माध्यम से, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं। यह नोट किया जाता है कि के.एम. केबल्स प्राइवेट लिमिटेड और एरीफ्लेक्स केबल्स से पीयूसी के दायरे के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थीं। तथापि, आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। अनुरोधों की जांच के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि पीयूसी के दायरे को जाँच शुरूआत के चरण में निर्धारित परिभाषा से अलग नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से, प्राधिकारी ने पीयूसी के अंतिम दायरे और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया, जैसा कि दिनांक 18.09.2025 की जाँच शुरूआत अधिसूचना संख्या 6/44/2025-डीजीटीआर में परिभाषित किया गया था।
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
11. अतः, प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के लिए "समान वस्तु" हैं, जैसा कि नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद वही है जो दिनांक 18.09.2025 की जाँच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया था, और निम्नानुसार है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" कहा गया है) "कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड्स सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल्स" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" भी

कहा गया है) है। कॉपर डेटा केबल में आमतौर पर कॉपर कंडक्टरों के मुड़े हुए जोड़े शामिल होते हैं, जो पॉलीथीन या अन्य शीथिंग सामग्री से इंसुलेटेड होते हैं, जिसमें ब्रेडिंग, ड्रेन वायर, व्यक्तिगत और/या समग्र फॉयल शील्ड और एक विभाजक शामिल हो भी सकता है और नहीं भी, जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क ("लैन") पर डेटा और सिग्नलों के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसमें शील्डेड और अनशील्डेड दोनों प्रकार की डेटा केबल शामिल हैं, जिन्हें उनके निष्पादन के आधार पर कैट 5ई, कैट 6, कैट 6ए, कैट 7, कैट 7ए और पैच कॉर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कॉपर डेटा केबल का मुख्य रूप से हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, दूरसंचार, नेटवर्किंग, ऑडियो-वीडियो ट्रांसमिशन आदि के लिए लैन केबल के रूप में उपयोग किया जाता है।"

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. एसटीएल द्वारा किए गए आयातों पर विचार करने के बाद पाटनरोधी नियमावली, 1995 ("एडी नियमावली") के नियम 2(ख) के अंतर्गत उनकी पात्रता की जांच की जानी चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. एसटीएल ने अपने ऑप्टिकल नेटवर्किंग व्यवसाय प्रभाग के माध्यम से केवल कैप्टिव उपयोग के लिए चीन से पैच कॉर्ड्स की बहुत कम मात्रा का आयात किया है। इस तरह के आयात भारत में कुल पीयूसी आयातों का लगभग 0.02% और एसटीएल के उत्पादन और बिक्री का 0.01% से भी कम थे, और इससे एक घरेलू उत्पादक के रूप में एसटीएल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है।
- ii. मात्र आयात करने से कोई उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत अपात्र नहीं हो जाता है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के *गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि आयातों की प्रकृति और उद्देश्य तथा क्या वह इकाई मुख्य रूप से विनिर्माता बनी हुई है, संगत विचारणीय मुद्दे हैं।
- iii. बीसीएल और एसटीएल मिलकर कुल पात्र घरेलू उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा रखते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली, 1995 का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित करता है:

'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, किंतु ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं हों या वे स्वयं उसके आयातक नहीं हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

15. वर्तमान आवेदन बिरला केबल लिमिटेड और स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में समान वस्तु के कई अन्य उत्पादक हैं, जिनके नाम ओरिएंट केबल्स इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, कॉमस्कोप कनेक्टिविटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बेलडेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं।
16. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि एसटीएल ने चीन जनवादी गणराज्य से कॉपर डेटा केबल के एक प्रकार, पैच कॉर्ड्स की नगण्य मात्रा का आयात किया है। तथापि, ऐसे आयात एसटीएल के कुल उत्पादन का 0.01% से भी कम हैं। यह सीमित आयात गतिविधि आवेदक के व्यवसाय की प्रकृति को विनिर्माता से व्यापारी में परिवर्तित नहीं करती है। तदनुसार, एसटीएल वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने के लिए पात्र है। बीसीएल ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के दोनों घटकों में से कोई भी संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/आयातकों में से किसी से संबंधित नहीं है। तदनुसार, बीसीएल और एसटीएल पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत एक प्रमुख हिस्सा रखते हैं, और घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- घरेलू उद्योग व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अंतर्गत निर्धारित प्रकटन करने में विफल रहा है, जिसमें अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य तथा क्षमता उपयोग के रुझानों से संबंधित जानकारी शामिल है।

- ii. घरेलू उद्योग ने रुझान के रूप में निर्यात बिक्री की प्रति-इकाई लागत का प्रकटन नहीं किया है और वह व्यापार सूचना के अंतर्गत निर्धारित तरीके से एनआईपी की गणना प्रदान करने में भी विफल रहा है।
- iii. इस प्रकार का गैर-प्रकटन घरेलू उद्योग की स्थिति, निष्पादन और क्षति के दावों की सार्थक जांच को बाधित करता है तथा अपने हितों की रक्षा करने के हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- iv. अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में आपत्तियां पहले उठाए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने न तो आपत्तियों का समाधान किया और न ही कमियों को सुधारते हुए संशोधित अगोपनीय अंश दायर किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

18. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता विवरण में अपने गोपनीयता दावों के उचित और पर्याप्त कारण दिए हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि लागत और वित्तीय आंकड़े हमेशा व्यावसायिक रूप से संवेदनशील होते हैं और स्वयं संख्याओं से अलग होकर उनका सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
- ii. लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लागत आवंटन के तरीके, मूल्यहास पद्धतियां और परिसंपत्ति पूंजीकरण सहित अत्यधिक संवेदनशील वित्तीय विवरण शामिल होते हैं, जिनका प्रकटन घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- iii. घरेलू उद्योग आयात आंकड़ों के विवरण का प्रकटन नहीं कर सकता है क्योंकि यह तीसरे पक्ष के बाजार आसूचना स्रोतों पर आधारित है, जिसका प्रकटन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135कक के अंतर्गत निषिद्ध है।
- iv. घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 10.11.2025 के अनुरोध के माध्यम से एनआईपी की सही रेंज को पुनः परिचालित किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"नियम 7. गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा

इसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उनके द्वारा उसी रूप में मानी जाएगी और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी कोई भी जानकारी किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में, ऐसी जानकारी का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या जानकारी देने वाला पक्षकार या तो जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है या इसे सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत करने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकते हैं।"

20. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों के मुद्दे उठाए हैं। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी उचित समझा गया गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।

ड. विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ध्यान में लाई गई विसंगतियों के बाद घरेलू उद्योग ने संशोधित प्रारूप IV-क के आंकड़े प्रस्तुत किए। तथापि, संशोधित आंकड़े एसटीएल की सूचना की विश्वसनीयता से संबंधित चिंताओं का समाधान नहीं करते हैं।

यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी एसटीएल के ब्याज लागत और लाभप्रदता आंकड़ों का सत्यापन करें, जिन्हें समाधान न होने योग्य और संभावित रूप से गलत बताया गया था।

ड.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

23. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

घरेलू उद्योग ने यह मुद्दा उठाया है कि निंगबो एक्सीलेंस मौखिक सुनवाई के दौरान डीआई को अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अगोपनीय अंश परिचालित करने में विफल रहा, जिसके बाद डीआई द्वारा लिखित अनुरोध किए गए, और इसलिए, यह अनुरोध किया है कि इसके प्रत्युत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

बिक्री मूल्य के रुझानों में विसंगतियों के संबंध में मौखिक सुनवाई के दौरान जताई गई चिंताओं के प्रत्युत्तर में, डीआई ने व्यक्तिगत और संयुक्त प्रारूप IV-क प्रस्तुत किया, और इसकी एक प्रति सभी हितबद्ध पक्षकारों को भी परिचालित की गई।

एसटीएल की ब्याज लागत में वृद्धि एसटीएल की कच्ची सामग्री की खरीद नीति के कारण है, जिसमें एसटीएल अपने विक्रेताओं से खरीदे जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल तांबे के भुगतान को टालता है और इसे चालू देनदारी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ब्याज लागत/प्रति किमी कुल बिक्री लागत के 5% से कम है। तदनुसार, इसे घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरूआत अधिसूचना का पैरा 22 विशेष रूप से सभी भागीदार हितबद्ध पक्षकारों से अपने प्रत्युत्तरों और अनुरोधों के अगोपनीय अंश को घरेलू उद्योग सहित अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने की अपेक्षा करता है। यह नोट किया जाता है कि निंगबो एक्सीलेंस अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अगोपनीय अंश परिचालित करने में विफल रहा, यहां तक कि मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में विशिष्ट आपत्ति जताए जाने और उसके बाद लिखित अनुरोध किए जाने के बाद भी उसने ऐसा किया है। प्राधिकारी ने निंगबो एक्सीलेंस से विशिष्ट स्पष्टीकरण मांगा और उसने घरेलू उद्योग सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर के अगोपनीय अंश के परिचालित करने का साक्ष्य प्रदान किया है।

25. एसटीएल के ब्याज लागत के उतार-चढ़ाव और लाभप्रदता आंकड़ों के समाधान न होने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के साथ एसटीएल की ब्याज लागत में वृद्धि हुई है। एसटीएल ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बिक्री की लागत कुल बिक्री लागत को घरेलू और निर्यात बिक्री कारोबार अनुपात में वितरित करके प्राप्त की गई है। बढ़ती घरेलू मांग के साथ, एसटीएल के घरेलू बिक्री कारोबार में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई, जिसके कारण इसकी घरेलू बिक्री पर ब्याज लागत का अधिक आवंटन हुआ। आगे यह स्पष्ट किया गया था कि यह ब्याज लागत मुख्य रूप से एसटीएल की विनिर्माण लागत अर्थात् पीयूसी के उत्पादन के लिए तांबे की खरीद से संबंधित है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

26. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था या प्रतिनिधि देश पद्धति लागू करने का कानूनी आधार 11 दिसंबर 2016 को समाप्त होना बताया गया था। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन की वास्तविक घरेलू कीमतों और लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए, भले ही बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा औपचारिक रूप से मांगा गया हो या नहीं।
- ii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 पर डीजीटीआर की निरंतर निर्भरता और घरेलू उद्योग की लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन भारत के डब्ल्यूटीओ दायित्वों के साथ असंगत है। इस तर्क के समर्थन में कि चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के संगत प्रावधानों की समाप्ति के बाद सरोगेट पद्धति जारी नहीं रहनी चाहिए, भारत सरकार 'समझौतों का पालन होना चाहिए' के सिद्धांत और ईसी-फास्टनर्स में डब्ल्यूटीओ के निष्कर्षों से बाध्य है।
- iii. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन के सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित लागत और कीमत संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा कथित पाटन मार्जिन अनुमानित कारखाना-द्वार निर्यात कीमतों और पंधुच मूल्य पर आधारित हैं और किए गए निर्यातों की वाणिज्यिक वास्तविकता को नहीं दर्शाते हैं। निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सौदा-वार निर्यात कीमतें और पंधुच मूल्य डीआई द्वारा भरोसा किए गए अनुमानों की तुलना में काफी अधिक हैं और यदि उन पर विचार किया जाता है, तो पाटन मार्जिन नकारात्मक या न्यूनतम सीमा से कम हो सकता है।
- v. पक्षकारों ने अपने स्वयं के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया है।
- vi. डीआई के कुल कीमत अनुमान वास्तविक आंकड़ों के प्रतिनिधि नहीं हैं, क्योंकि वास्तविक निर्यात प्राप्तियां डीआई द्वारा भरोसा किए गए कथित कम पंधुच मूल्य की तुलना में काफी अधिक हैं।
- vii. निजी स्रोतों से प्राप्त आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं और पाटन के प्रयोजनों के लिए आयातों की जांच हेतु प्राधिकारी को डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन जनवादी गणराज्य एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और चीन के डब्ल्यूटीओ एक्शेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में, यह सिद्ध करने का दायित्व भाग लेने वाले निर्यातकों पर है कि वहां बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। भाग लेने वाले किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है।
- ii. प्राधिकारी को प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य व्ययों तथा लाभ के उचित संयोजन के साथ भारतीय घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत सहित "किसी अन्य उचित आधार" पर पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए।
- iii. सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए, प्राधिकारी से तांबे हेतु प्रीमियम के साथ एलएमई कीमतों और अन्य कच्चे माल के लिए समायोजित अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।
- iv. प्राधिकारी को 5% लाभ के बजाय परिकलित सामान्य मूल्य के लिए उचित लाभ को अपनाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ इस प्रकार है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

29. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई।
30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादक निर्यातकों ने चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए हैं:

- क. जिन्हुआ गुआंगयांग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("जेजीईटी")
- ख. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
- ग. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (सूझोउ) कंपनी लिमिटेड
- घ. निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कंपनी लिमिटेड
- ङ. एक्सीलेंस वायर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
- च. सीआरएक्सकोनेक कंपनी लिमिटेड
- छ. झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

31. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

- (क) *जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:*
 - (i) *यदि जांच के दायरे में आने वाले उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में जांच के अंतर्गत उद्योग के लिए चीन के कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;*
 - (ii) *आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है यदि जांच के अंतर्गत उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।*

- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सव्सिडियों पर विचार करते समय, एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उस अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां आती हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सव्सिडी लाभ की पहचान करने और मापने के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखती हैं कि चीन में प्रचलित नियम और शर्तें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यावहारिक हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित नियमों और शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित नियमों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों को पाटनरोधी पद्धतियों संबंधी समिति को सूचित करेगा और उप-पैरा (ख) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों को सव्सिडी और प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति को सूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

32. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया है कि यदि प्रतिवादी चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और मूल्य संबंधी सूचना बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अंतर्गत की जानी चाहिए।

33. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि एक्सेशन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पाटनरोधी

नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किया जाना आवश्यक है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जनवादी गणराज्य के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में भाग लेने वाले किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर, या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो। संबंधित देश और विचाराधीन उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय सूचना का उचित ध्यान रखा जाएगा। समय-सीमा के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच को भी ध्यान में रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के पूर्वोक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित देरी से सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।"

35. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैराग्राफ 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक अनुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे एक उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो। वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा, अन्य देशों से भारत में संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयातों पर भी विचार नहीं किया जा सका।

36. अतः, प्राधिकारी पैराग्राफ 7 में निर्धारित "भारत में देय कीमत" के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं। इसकी गणना बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और लाभ के लिए उचित समायोजन के साथ विधिवत रूप से समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है। सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख) चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत:

37. सभी भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा सूचित की गई संचयी मात्रा केवल 21,988 केएम है, जो संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात का केवल 11% दर्शाती है। इस प्रकार, संबद्ध देश से निर्यातों के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच में भाग नहीं लिया है।

i. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड और जेडटीसी टेक्नोलॉजी (सूझोउ)

38. जेडटीसी टेक्नोलॉजी (सूझोउ) कंपनी लिमिटेड संबद्ध वस्तु की एक उत्पादक-निर्यातक है और इसने प्रत्यक्ष रूप से तथा अपनी संबंधित इकाई जेडटीसी टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, जिसने वर्तमान जांच में भी भाग लिया है।

39. सूझोउ ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** केएम का निर्यात किया है। उत्पादक निर्यातक ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और बैंक प्रभार के कारण अपनी निर्यात कीमत में समायोजन का दावा किया है, जबकि इसके संबंधित निर्यातक ने सभी वस्तुओं का निर्यात कारखाना-द्वारा आधार पर किया है। प्राधिकारी ने विधिवत रूप से सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ii. झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड ("चाओलियान")

40. चाओलियान संबद्ध वस्तु (पैच कॉर्ड्स) की एक उत्पादक निर्यातक है और इसने जांच अवधि के दौरान केवल संबद्ध वस्तु का प्रत्यक्ष निर्यात किया है। चाओलियान ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** केएम का निर्यात किया है। इसने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत रूप से सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

iii. निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कंपनी लिमिटेड ("निंगबो एक्सीलेंस")

41. निंगबो एक्सीलेंस संबद्ध वस्तु की एक उत्पादक निर्यातक है और इसने जांच अवधि के दौरान पैच कॉर्ड्स (कॉपर डेटा केबल का एक प्रकार) का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात किया है। निंगबो एक्सीलेंस ने अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु का भी निर्यात किया है। तथापि, ऐसे अन्य उत्पादकों ने

वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इसकी निर्यात कीमत की गणना के लिए केवल उन्हीं निर्यातों पर विचार किया है जो निंगबो एक्सीलेंस द्वारा विनिर्मित किए गए हैं।

42. निंगबो एक्सीलेंस ने स्वयं निर्मित पैच कॉर्ड्स के *** केएम का निर्यात किया है। निंगबो एक्सीलेंस ने अपने संबंधित व्यापारियों एक्सीलेंस वायर और सीआरएक्सकोनेक कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात किया है। निंगबो एक्सीलेंस और उसके संबंधित निर्यातकों ने पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत रूप से सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

iv. जिन्हुआ गुआंगयांग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("गुआंगयांग")

43. गुआंगयांग संबद्ध वस्तु (पैच कॉर्ड्स) की एक उत्पादक निर्यातक है और इसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का प्रत्यक्ष निर्यात किया है। गुआंगयांग ने भारत को संबद्ध वस्तु के *** केएम का निर्यात किया है। गुआंगयांग ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत रूप से सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

44. चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.2 पाटन मार्जिन

45. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से संबंधित उत्पाद के उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (डा./केएम)	निर्यात कीमत (डा./केएम)	पाटन मार्जिन (डा./केएम)	पाटन मार्जिन(%)	पाटन मार्जिन
					(रेंज)
जेडटीसी टैक्नालॉजी (सुझोउ) कं. लि.	***	***	(***)	(***)%	ऋणात्मक
झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)%	ऋणात्मक
जिन्हुआ गुआंगयांग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)%	ऋणात्मक
निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)%	ऋणात्मक
अन्य	***	***	***	***	70-80

भाग - III**छ. क्षति का आकलन****छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

46. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्यों तथा पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभावों और घरेलू उद्योग पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष जांच पर आधारित होना चाहिए।
- ii. रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री यह सिद्ध नहीं करती है कि संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति हुई है।
- iii. आयातों में वृद्धि को पीयूसी की घरेलू मांग में पर्याप्त वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग स्वयं अपनी घरेलू बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम रहा है, जिससे यह पता चलता है कि आयातों ने घरेलू बिक्री को विस्थापित करने के बजाय बढ़ती मांग की पूर्ति की है।
- iv. आयातों में वृद्धि, चाहे वह समग्र रूप में हो या उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष हो, अपने आप में क्षति सिद्ध नहीं कर सकती जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि आयातों का घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- v. बाजार की स्थितियों, मांग में वृद्धि और घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता की प्रतिक्रिया स्वरूप आयातों में उतार-चढ़ाव आया है।
- vi. अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत डाउनस्ट्रीम उत्पादों में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में आयात किए जाते हैं जिन्हें बाद में निर्यात किया जाता है। ऐसे आयातों के प्रभाव का आकलन करते समय उन पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।
- vii. चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य देशों से भी आयात मौजूद रहे हैं और क्षति का आरोप लगाने से पहले उनके प्रभाव की अलग से जांच की जानी चाहिए।
- viii. अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में गिरावट को चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब आवेदक घरेलू उद्योग स्वयं उसी अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री में पर्याप्त वृद्धि करने में सक्षम रहा है।
- ix. घरेलू उद्योग भारी कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण को सिद्ध करने में विफल रहा है। क्षति अवधि के दौरान इसकी बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति मोटे तौर पर एक ही दिशा में आगे बढ़ी हैं।

- x. घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री की मात्रा में वृद्धि करने के साथ-साथ अपनी बिक्री कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम रहा है। यह इस तर्क के साथ असंगत है कि आयातों ने घरेलू कीमतों में भारी कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण किया है।
- xi. पंधुच मूल्य में गिरावट अपने आप में क्षति को सिद्ध नहीं करती है जहां घरेलू उद्योग ने अपनी निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि करना जारी रखा है।
- xii. कीमत कटौती या कम कीमत पर बिक्री की अलग से जांच नहीं की जा सकती है। *ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में माननीय सेसटेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- xiii. क्षति अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है जो निरंतर विस्तार को दर्शाती है।
- xiv. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि, बढ़ी हुई क्षमता के साथ, इस आरोप के साथ असंगत है कि आयातों ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- xv. आयातों के कारण क्षमता उपयोग में कोई वास्तविक गिरावट प्रदर्शित नहीं की गई है।
- xvi. घरेलू बिक्री की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस तरह की वृद्धि यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग आयातों की उपस्थिति के बावजूद भारतीय बाजार की वृद्धि में भाग लेने में सक्षम रहा है।
- xvii. घरेलू बिक्री में वृद्धि उत्पादन और मांग में वृद्धि से मेल खाती है और इसलिए यह आयातों के कारण बिक्री के किसी नुकसान का संकेत नहीं देती है।
- xviii. माल सूची क्षति को प्रदर्शित नहीं करती है। उत्पादन और बिक्री के संबंध में माल सूची की जांच की जानी चाहिए।
- xix. अन्य घरेलू उत्पादकों के आंकड़े माल सूची में गिरावट दर्शाते हैं, जो इस तर्क के साथ असंगत है कि आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन को बेचने में असमर्थता हुई है।
- xx. क्षति अवधि के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई है।
- xxi. वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।
- xxii. उत्पादकता में सुधार हुआ है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कोई भी मामूली गिरावट जनशक्ति में वृद्धि के कारण हुई है।
- xxiii. घरेलू उद्योग ने पर्याप्त निवेश किया है जैसा कि नियोजित पूंजी, निवल अचल संपत्तियों और कार्यशील पूंजी में वृद्धि से परिलक्षित होता है। ऐसा निवेश क्षति उठाये जाने के तर्क के साथ असंगत है।

- xxiv. केवल कर-पूर्व लाभ के आधार पर करने के बजाय लाभप्रदता की व्यापक रूप से जांच की जानी चाहिए।
- xxv. पीबीआईटी और पीबीडीआईटी में सुधार दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का प्रचालन अच्छा बना रहा है।
- xxvi. ब्याज लागत में वृद्धि ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रभावित किया है।
- xxvii. कीमत ह्रास में वृद्धि पूंजी निवेश और विस्तार को दर्शाती है और यह लाभप्रदता को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है जिसे आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- xxviii. कार्यशील पूंजी और वित्तपोषण लागत में वृद्धि ने भी लाभप्रदता में गिरावट में योगदान दिया है।
- xxix. निर्यात बिक्री में गिरावट घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाला एक अलग और स्वतंत्र कारक है।
- xxx. घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, रोजगार, मजदूरी, उत्पादकता और निवेश में वृद्धि दर्ज की है, और इसलिए समग्र आर्थिक निष्पादन में भी वृद्धि हुई है।
- xxxi. एनआईपी के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% की नियत आय अपनाना अत्यधिक है और वर्तमान आर्थिक स्थितियों को नहीं दर्शाता है। एक उचित आय सामान्य प्रतिस्पर्धी स्थितियों के अंतर्गत और पाटन से अप्रभावित अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग की वास्तविक लाभप्रदता पर आधारित होनी चाहिए।
- xxxii. संबद्ध आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। लाभप्रदता में कोई भी गिरावट बढ़ी हुई वित्त लागत, मूल्यह्रास, निर्यात निष्पादन और अन्य आंतरिक या स्वतंत्र कारकों के कारण है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

47. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग वित्त वर्ष 2023-24 से चीन से पाटित आयातों के कारण क्षति झेल रहा है। संबद्ध आयातों में वृद्धि ने भारतीय मांग में वृद्धि और बिक्री में वृद्धि को काफी पीछे छोड़ दिया है।
- ii. क्षति अवधि के दौरान मांग में काफी वृद्धि हुई, पूरी क्षति अवधि के दौरान चीन से आयात कई गुना बढ़े हैं और लगातार बढ़े हैं, जिनमें जांच अवधि (पीओआई) के दौरान तीव्र वृद्धि हुई।
- iii. आयातों में वृद्धि के लिए केवल मांग में वृद्धि को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थापित क्षमता है और कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है।
- iv. 2022-23 से मांग का एक बड़ा हिस्सा चीन से होने वाले आयातों द्वारा हथिया लिया गया है।

- v. जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में वृद्धि मांग में वृद्धि से प्रेरित थी और यह क्षति का निषेध नहीं करती है। पाटित आयातों की अनुपस्थिति में, घरेलू उद्योग उचित कीमतों पर काफी अधिक बिक्री और उत्पादन प्राप्त कर सकता था।
- vi. आयात न केवल पूर्ण रूप से बल्कि घरेलू उत्पादन, घरेलू बिक्री और खपत के सापेक्ष भी काफी बड़े हैं।
- vii. क्षति अवधि के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में लगातार वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा घटा है।
- viii. मांग में उल्लेखनीय वृद्धि और क्षमता की उपलब्धता के बावजूद, बाजार हिस्से में गिरावट आयातों के प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव को सिद्ध करती है।
- ix. बिक्री में सुधार को उन कीमतों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिन पर ऐसी बिक्री की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 से, घरेलू उद्योग को कम कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने मार्जिन को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए नुकसान उठाकर बिक्री की गई है।
- x. कॉपर डेटा केबल्स की लागत में तांबे का हिस्सा लगभग 70-80% होता है और इसकी कीमत एलएमई कीमतों के संदर्भ में निर्धारित होती है। घरेलू लागतों और कीमतों की जांच करते समय एलएमई कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए उचित समायोजन करना आवश्यक है।
- xi. चीन से कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।
- xii. पंधुच मूल्य में काफी गिरावट आई और यह जांच अवधि के दौरान अपने न्यूनतम स्तर पर पंधुच गया। उसी समय, बिक्री लागत में वृद्धि हुई, लेकिन निवल बिक्री प्राप्ति में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो सकी।
- xiii. यद्यपि जांच अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई, लेकिन ऐसी वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में काफी कम थी।
- xiv. मांग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद जांच अवधि के दौरान स्थापित क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रहा। घरेलू उद्योग अपनी उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ था क्योंकि बढ़ती मांग का एक बढ़ता हुआ हिस्सा चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों द्वारा हथिया लिया गया था।
- xv. 2023-24 से मालसूची में वृद्धि हुई है। यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में एसटीएल की माल सूची में गिरावट आई, लेकिन 2023-24 से जांच अवधि तक बीसीएल और एसटीएल दोनों की मालसूची में वृद्धि हुई।
- xvi. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में विशेष रूप से 2023-24 से काफी गिरावट आई, और घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान घाटा हुआ।

- xvii. बिक्री और उत्पादन में सुधार लाभप्रदता को कम करने पर आया है।
- xviii. पीबीआईटी और पीबीडीआईटी में सुधार पर निर्भरता लाभप्रदता को उचित रूप से नहीं दर्शाती है। एसटीएल की कच्चा माल खरीद के कारण, इसकी ब्याज लागत सीधे तांबे की खरीद से प्रभावित होती है और उत्पादन के साथ बढ़ती है। इसलिए पीबीटी लाभप्रदता का अधिक उपयुक्त पैमाना प्रदान करता है, और पीबीटी में गिरावट आई है।
- xix. एसटीएल की ब्याज लागत में वृद्धि तांबे के लिए उसकी खरीद नीति से उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान टाल दिया जाता है और उसे चालू देनदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी कम हो जाती है और ब्याज लागत अधिक होती है। इसके अलावा, प्रति किलोमीटर ब्याज लागत कुल बिक्री लागत का केवल ***% है और यह होने वाली क्षति को स्पष्ट नहीं कर सकती है।
- xx. कार्यशील पूंजी और ब्याज लागत में वृद्धि मोटे तौर पर उच्च मांग से उत्पन्न उत्पादन में वृद्धि से जुड़ी है और इसे क्षति का एक स्वतंत्र कारण नहीं माना जा सकता है।
- xxi. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में गिरावट भी पाटित आयातों की बढ़ती पहुंच के अनुरूप है।
- xxii. निर्यात बिक्री में गिरावट घरेलू बाजार में हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- xxiii. अन्य देशों से होने वाले आयात कारणात्मक संबंध को समाप्त नहीं करते हैं। चीन के अलावा, केवल वियतनाम से ही सार्थक आयात मात्रा थी, और वियतनाम से होने वाले आयात जाँच शुरूआत के चरण में लागू मात्रात्मक सीमा को पूरा नहीं करते थे।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 का नियम 11 यह प्रावधान करता है कि क्षति के निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच शामिल होगी जो संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक ह्रास करना है या कीमतों में होने वाली ऐसी वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण स्तर तक हुई बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता

उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

49. प्राधिकारी ने, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित की जाने वाली मांग नीचे तालिका में दी गई है:

मांग का आकलन					
विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
चीन जन गण - संबद्ध देश	किमी	68,730	107,693	64,430	175,552
अपाटित आयात	किमी				21,988
गैर संबद्ध देशों से आयात	किमी	11,739	12,811	6,145	15,954
कुल आयात	किमी	80,469	120,504	70,576	213,494
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	105	138
अन्य उत्पादकों की बिक्रियाँ	किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	78	70
कुल मांग/खपत	किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	97	148

50. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मांग में लगभग 48% की वृद्धि हुई है। उसी समय, संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में 187% की वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देश से आयात की मात्रा

51. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई	पीओआई पाटित आयात
चीन जन गण - संबद्ध देश	किमी	68,730	107,693	64,430	197,540	175,552
गैर-संबद्ध देश	किमी	11,739	12,811	6,145	15,954	
कुल आयात	किमी	80,469	120,504	70,576	213,494	
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	किमी	***	***	***	***	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	105	138	
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियाँ	किमी	***	***	***	***	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	78	70	
कुल मांग	किमी	***	***	***	***	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	97	148	
निम्न के संबंध में संबद्ध देश के आयात						
कुल मांग	%	***	***	***	***	***
रेंज		0-10%	0-10%	0-10%	20-30%	20-30%
उत्पादन	%	***	***	***	***	***

रेंज		10-20%	20-30%	10-20%	40-50%	30-40%
कुल आयात	%	85%	89%	91%	93%	92%

52. यह नोट किया जाता है कि:

- क. संबद्ध देश से आयात की मात्रा वर्ष 2022-23 में बढ़ी है, 2023-24 में घटी और उसके बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा जांच अवधि में सर्वाधिक रही है।
- ख. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात वर्ष 2022-23 में बढ़े, 2023-24 में घटे और जांच अवधि में पुनः बढ़े हैं।
- ग. कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात भी आधार वर्ष के 85% से बढ़कर जांच अवधि में 93% हो गया। भारत में चीन जनवादी गणराज्य से हुए कुल 93% आयातों में से 86% आयात पाटित पाए गए हैं।

53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आयातों में वृद्धि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के कारण हुई थी और ऐसे आयातों ने केवल संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन को संपूरित किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि 2023-24 और जांच अवधि के बीच मांग में ***% की वृद्धि हुई, वहीं संबद्ध आयातों में 207% की वृद्धि हुई, अर्थात् मांग में वृद्धि की दर से लगभग चार गुना अधिक वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, घरेलू उद्योग की बिक्री में ***% की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, पूर्ण रूप से अपनी बिक्री में वृद्धि के बावजूद, मांग में भारतीय उद्योग का हिस्सा 2023-24 के ***% से काफी घटकर जांच अवधि में ***% रह गया, जबकि संबद्ध आयातों का हिस्सा लगभग ***% से बढ़कर ***% हो गया।

54. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से होने वाले आयातों की आयात कीमतों में वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच भारी गिरावट आई। यदि आयात केवल वृद्धिशील मांग को पूरा कर रहे होते, तो घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का कोई कारण नहीं होता। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच पंधुच कीमत में 51% की गिरावट भी यह दर्शाती है कि संबद्ध देश के उत्पादकों का इरादा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा करना था। तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले पाटित आयातों ने संबद्ध वस्तु की घरेलू आपूर्ति को केवल संपूरित किया है।

छ.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

55. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (ii) के अनुसार, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना है या कीमतों में होने वाली ऐसी वृद्धि को एक महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है, जो अन्यथा बढ़ गई होती।

क) कीमत कटौती

56. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। इस प्रकार निर्धारित कीमत कटौती नीचे दी गई है:

कीमत कटौती					
पीओआई	पंहुच कीमत	निवल बिक्री प्राप्ति	कीमत कटौती	कीमत कटौती	कीमत कटौती
	₹/किमी	₹/किमी	₹/किमी	(%)	रेंज
चीन जन गण	***	***	***	***	60-70

57. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम थी। कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।

ख) कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

58. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के पंहुच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करने के उपरांत कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की मौजूदगी की जांच की है। इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	₹/किमी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	106	104	113
पंहुच मूल्य	₹/किमी	23,044	17,679	24,924	12,288
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	77	108	53
बिक्री कीमत	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	109	104	111

59. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वर्ष 2023-24 में मामूली गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान, चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से कम रही थी। यद्यपि वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत ₹ *** /किमी से बढ़कर ₹ *** /किमी हो गई, इसकी बिक्री लागत ₹ *** /किमी से बढ़कर ₹ *** /किमी हो गई। इसलिए घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के पूरी तरह अनुरूप अपने बिक्री मूल्य में वृद्धि करने में असमर्थ रहा और जांच अवधि के दौरान अपनी बिक्री लागत से कम पर बेचने के लिए विवश हुआ।
60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग जांच अवधि में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम रहा है और बिक्री लागत में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि हुई है तथा तदनुसार, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात उसी समय घरेलू कीमतों में भारी कटौती कर रहे थे जब घरेलू उद्योग अपनी लागतों में हुई वृद्धि की भरपाई करने में असमर्थ रहा था। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और बिक्री मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई, इन प्रतिकूल कीमत प्रभावों को नकारता नहीं है, विशेष रूप से तब जब मांग काफी उच्च दर से बढ़ी, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, और संबद्ध आयातों ने बाजार के एक बढ़ते हुए हिस्से पर कब्जा कर लिया।
61. घरेलू उद्योग ने आगे यह स्पष्ट किया है कि संबद्ध वस्तुओं को कॉपर एलएमई + अन्य आरएम और विनिर्माण लागत पर बेचा जाता है। एलएमई की लागत सीधे ग्राहकों पर डाल दी जाती है और इसलिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि का कारण एलएमई कीमतों में वृद्धि होना था। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से इसका सत्यापन किया है। आगे यह नोट किया जाता है कि निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग लागत से कम पर बिक्री कर रहा है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

62. पाटनरोधी नियमावली, 1995 का अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा ; नकदी प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता (पीयूसी+एनपीयूसी)	किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	107	107
उत्पादन (पीयूसी+एनपीयूसी)	किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	94	114
उत्पादन पीयूसी	किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	100	126
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रेंज	%	60-70	50-60	50-60	60-70
घरेलू बिक्रियाँ	किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	105	138

63. यह नोट किया जाता है कि मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान आवेदकों के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई। यह वृद्धि संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के अनुरूप है।

64. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग क्षति से व्याप्त नहीं है क्योंकि वह जांच अवधि के दौरान बिक्री मूल्य के साथ-साथ अपनी बिक्री मात्रा में भी वृद्धि करने में सक्षम रहा है। इस संबंध

में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है, परंतु बिक्री में यह वृद्धि बिक्री लागत से कम कीमतों पर बिक्री करके हासिल की गई थी।

65. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान अपनी स्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम रहा, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन पाटित आयातों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि उसने भारतीय मांग में अपेक्षित वृद्धि के अनुरूप अपनी क्षमता का विस्तार किया था। फिर भी, पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की 25% से अधिक क्षमता अप्रयुक्त बनी हुई है।

66. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बिक्री में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम पर बिक्री करके प्राप्त की गई थी। जहां वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच पूर्ण रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री में ***% की वृद्धि हुई, वहीं चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों के हिस्से में 207% की वृद्धि हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात ही थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय मांग में वृद्धि का लाभ उठाया।

ख. बाजार हिस्सा

67. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

बाजार हिस्सा	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई	पीओआई पाटित आयात
घरेलू उद्योग	***	***	***	***	
रेंज	60-70%	60-70%	60-70%	60-70%	
अन्य भारतीय उत्पादक	***	***	***	***	
रेंज	10-20%	10-20%	10-20%	0-10%	
संबद्ध आयात	***	***	***	***	***
रेंज	10-20%	20-30%	10-20%	20-30%	
अन्य देशों के आयात	***	***	***	***	
रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10	

68. यह नोट किया जाता है कि मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान चीन जनवादी

गणराज्य से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच अवधि के बीच, चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों की मात्रा ***% से दोगुनी होकर ***% हो गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से को विस्थापित कर दिया है। विशेष रूप से, संबद्ध आयातों के ***% बाजार हिस्से में से, ***% बाजार हिस्सा पाटित आयातों द्वारा हथिया लिया गया है।

ग. माल सूची

69. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

मालसूची					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
औसत मालसूची	किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	95	107

70. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल सूची जांच अवधि के दौरान सर्वाधिक रही थी।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

71. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

लाभप्रदता मापदंड					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
विक्री लागत	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	106	104	113
एनएसआर	₹/किमी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	109	104	111
पीबीटी	₹/किमी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	497	10	(61)
पीबीआईटी	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	257	91	113
पीबीडीआईटी	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	175	93	112
नकद लाभ	₹/किमी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	216	69	58
आरओसीई	%	***	***	***	***
रेंज	%	0-10	10-20	0-10	0-10

72. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि:

- क. जांच अवधि में पीबीटी में गिरावट आई है और यह नकारात्मक हो गया है।
- ख. क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ में गिरावट आई है।
- ग. यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर आय में ***% की वृद्धि हुई थी, परंतु उसके बाद 2023-24 में इसमें ***% की गिरावट आई और जांच अवधि के दौरान यह लगभग उसी स्तर पर बनी रही है।
- घ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, जांच अवधि में नकद लाभ और पीबीटी में गिरावट आई क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कम कीमत वाले आयातों के दबाव के कारण वह उचित लाभ अर्जित करने की सीमा तक अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है।

73. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति घरेलू उद्योग की उच्च ब्याज लागत के कारण है। इस संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि एसटीएल की ब्याज लागत में

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, भले ही उसने कोई विस्तार नहीं किया हो। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति असामान्य रूप से बड़ी हुई लागत के कारण है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसटीएल द्वारा वहन की गई ब्याज लागत मुख्य रूप से तांबे (प्राथमिक कच्चे माल) की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के कारण है और यह किसी असाधारण या असंबंधित वित्तीय निर्णय का परिणाम नहीं है। इस तरह के ऋण उत्पादन प्रक्रिया और घरेलू उद्योग के दैनिक संचालन का एक अभिन्न अंग होते हैं।

ड. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

74. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

श्रम और उत्पादकता मानदंड					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	76	75	96
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	76	91	148
प्रतिदिन उत्पादकता	किमी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	62	64	113

75. यह नोट किया जाता है कि 2023-24 की तुलना में जांच अवधि में वेतन एवं मजदूरी तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। आवेदकों ने दावा किया है कि ऐसा मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन में हुई वृद्धि की वजह से हुआ था:

च. वृद्धि

वृद्धि			
विवरण	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	***	***	***
घरेलू बिक्रियाँ	***	***	***
पीबीटी	***	***	***
आरओसीई	***	***	***

76. यह नोट किया जाता है कि:

- मांग में वृद्धि के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और उत्पादन ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।
- वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के लाभप्रदता पैरामीटरों ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

77. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह लाभ पर पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है और इसलिए, पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता काफी क्षीण हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण कोई नया निवेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेशों पर आय अर्जित करने में असमर्थ रहे हैं।

ज. पाटन की मात्रा

78. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का काफी अधिक पाटन हुआ है, जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को प्रभावित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि भागीदार निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन नकारात्मक है, परंतु ऐसे निर्यातक संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के कुल आयातों का केवल 11% हिस्सा रखते हैं। इसलिए, उनका व्यक्तिगत कीमत निर्धारण व्यवहार आयातों की भारी मात्रा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

छ.3.4 क्षति का समग्र आकलन

79. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच निम्नलिखित दर्शाती है:

- क. आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि (पीओआई) में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से निर्यातों के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी उत्पादक/निर्यातक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।
- ख. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बढ़ी है और यह जांच अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर थी।
- ग. जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, भारतीय मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहा है क्योंकि ऐसी मांग के एक बड़े हिस्से पर संबद्ध देश से संबद्ध आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।
- घ. जांच अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों का पंहच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। भारी कीमत कटौती और कीमत हास मौजूद है।
- ङ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

80. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की जांच की है और यह सुनिश्चित किया है कि क्या ऐसे कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकते थे, ताकि अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, तो उसके लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा, मांग में संकुचन या उपभोग की प्रवृत्ति में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

81. संबद्ध देश से होने वाले आयात भारत में कुल आयातों का 90% से अधिक हैं। इसके अलावा, अन्य सभी देशों से संबद्ध वस्तु के आयात व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम स्तर से कम रहे हैं। इस प्रकार, क्षति तीसरे देशों से होने वाले आयातों के कारण नहीं मानी जा सकती है।

ख) मांग में संकुचन

82. जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ग) उपभोग की प्रवृत्ति

83. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृत्ति में ऐसा कोई वास्तविक बदलाव नहीं आया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकता हो।

ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

86. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

87. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज.1 कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक

88. यद्यपि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

- i. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- ii. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- iii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत आवेदकों की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक और भारी कीमत कटौती हुई है।

- iv. आयातों ने जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।
- v. संबद्ध देश से पाटित आयातों में समग्र और सापेक्ष दोनों रूपों में जांच अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- vi. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आई है तथा जांच अवधि के दौरान इसने ऋणात्मक लाभ अर्जित किया है।

89. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

90. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पंहुच कीमत की तुलना करने हेतु एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, पूरी क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। नियमावली, 1995 के अनुबंध III में निर्धारित किए गए अनुसार एनआईपी ज्ञात करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद हेतु नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) की अनुमति दी गई थी।
91. पंहुच कीमत और ऊपर यथा निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (डा./किमी)	पंहुच मूल्य (डा./किमी)	क्षति मार्जिन (डा./किमी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
जेडटीसी टेक्नॉलाजी (सुझोउ) कं. लि.	डंपिंग मार्जिन ऋणात्मक होने के कारण इसे तय नहीं किया गया है।				
झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रिक कं. लि.					

जिनहुआ गुआनयंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलाजी कं. लि.					
निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कं. लि.					
अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	50-60

ज. शुल्क प्रभाव आकलन

जनहित और घरेलू उद्योग का हित

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

92. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- कॉपर डेटा केबल्स दूरसंचार, ब्रॉडबैंड, डेटा केंद्रों, डिजिटल कनेक्टिविटी, औद्योगिक ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं, और पाटनरोधी शुल्क लगाने से इन क्षेत्रों के लिए इनपुट और परियोजना लागत में वृद्धि होगी।
- उच्च लागत डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जिसमें 'डिजिटल इंडिया' पहल के उद्देश्य भी शामिल हैं, और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है।
- घरेलू आपूर्ति की अनुपूर्ति करने और पीयूसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं।
- कॉपर डेटा केबल्स का उपयोग सरकार द्वारा वित्तपोषित और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी किया जाता है, तथा शुल्क के परिणामस्वरूप बड़ी हुई कीमतें खरीद लागत और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएंगी।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

93. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- एसटीएल और बीसीएल दोनों के पास यूएल प्रमाणन है और वे प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अपेक्षित यूएल-प्रमाणित पीयूसी की आपूर्ति करने में सक्षम हैं।

- ii. शुल्क के महत्वपूर्ण प्रभाव से संबंधित दावा किसी भी प्रकट की गई गणना द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि अंतर्निहित कार्यप्रणाली को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। सार्थक प्रकटन के अभाव में, ऐसे दावों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के माहौल को बढ़ावा मिले। यह केवल एक विनियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू करना या जारी रखना संबद्ध देश से होने वाले आयातों को मनमाने ढंग से रोकने के लिए नहीं बनाया गया है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के बने रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूल स्वरूप अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों को जारी रखना पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकता है। यह संबद्ध वस्तु के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कोई बाधा नहीं बल्कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं में सुविधा प्रदान करते हैं।
95. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल था।
96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांचों का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करना है। इसके साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन साथ ही देश के भीतर नए उत्पादकों द्वारा उत्पादन किए जाने को बढ़ावा भी मिल सकता है।

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के कई उत्पादक हैं, तदनुसार, शुल्क लगाए जाने के बाद भी, भारतीय बाजार को कई घरेलू उत्पादकों, संबद्ध देश से शुल्क-भुगतान वाले आयातों और गैर-संबद्ध देशों से आयातों द्वारा वस्तुएं मिलती रहेंगी।
98. इसके अलावा, प्राधिकारी ने भाग लेने वाले प्रयोक्ता आयातक एम्फेनॉल एफसीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव का आकलन किया है और नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं:

पीयूसी के प्रयोग करके विनिर्मित अंतिम उत्पाद की कुल लागत और लाभ	यूओएम	प्रति इकाई लागत
अंतिम उत्पाद की कुल लागत	रू./संख्या	***
पीयूसी की लागत	रू./संख्या	***
40% एडीडी	रू./संख्या	***
एडीडी के कारण बढ़ी हुई लागत	रू./संख्या	240-250
बिक्री कीमत	रू./संख्या	***
एडीडी के पश्चात बिक्री पर लाभ	%	***
एडीडी का प्रभाव	%	0-5%

स्रोत: एम्फेनॉल एफसीआई प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर

99. उपरोक्त आकलन के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सीमित होगा। जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तावित शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप पीयूसी का उपयोग करके निर्मित अंतिम उत्पाद के लाभ मार्जिन में लगभग 0-5% की अनुमानित कमी आएगी, जबकि प्रयोक्ता उद्योग प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत को खपाने के बाद भी बिक्री पर लगभग ***% का लाभ मार्जिन अर्जित करना जारी रखेगा। तदनुसार, प्रयोक्ता उद्योग अपने प्रचालन और लाभप्रदता पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसी अतिरिक्त लागत को वहन करने की स्थिति में होगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातों

पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई कमी उत्पन्न नहीं होगी और न ही प्रयोक्ताओं पर कोई असंगत बोझ पड़ेगा। इससे केवल यह सुनिश्चित होगा कि आयात उचित कीमतों पर भारत में प्रवेश करें और घरेलू उद्योग को क्षति न पहुंचाएं। तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर कथित प्रतिकूल प्रभाव निराधार और अतिशयोक्तिपूर्ण है।

ट. प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

100. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- क. जे जी ई टी प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह पाटन मार्जिन निर्धारण के संबंध में अपनाई गई कार्यप्रणाली एवं निष्कर्षों को यथावत् रखे तथा अंतिम निष्कर्षों में उनकी पुष्टि करे।
- ख. निंगबो एक्सीलेंस प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि प्रकटीकरण कथन में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उसके ऋणात्मक मार्जिनों की पुष्टि करे।
- ग. धनात्मक डंपिंग मार्जिन के अभाव में, प्राधिकारी से अनुरोध है कि झेजियांग चाओलियन इलेक्ट्रॉनिक कं. के लिए शून्य एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की जाए।
- घ. जेड टी सी प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि उसके ऋणात्मक डंपिंग/क्षति मार्जिन की पुष्टि करे तथा अंतिम निष्कर्षों में जेड टी सी के लिए शून्य शुल्क की सिफारिश करे।
- ङ. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान सारवान क्षति नहीं झेली है, जैसा कि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता एवं उत्पादन में हुई वृद्धि से स्पष्ट है।
- च. घरेलू उद्योग समूची क्षति अवधि के दौरान 60-70% की सुसंगत बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में सक्षम रहा है, जो क्षति के दावे के साथ असंगत है।
- छ. उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में हुआ सुधार यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान धनात्मक प्रदर्शन किया है और विषय आयातों के कारण उसने कोई सारवान क्षति नहीं झेली है।
- ज. घरेलू उद्योग आंतरिक कारकों एवं परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित हो रहा है, और घरेलू उद्योग को होने वाली कोई भी क्षति विषय आयातों के कारण नहीं है।
- झ. विषय आयातों से स्वतंत्र कई कारक विद्यमान हैं, जिनमें उच्च व्याज लागत, बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ तथा उच्चतर मूल्यहास लागत सम्मिलित हैं, जिन्होंने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

- ज. विषय आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क का आरोपण लोकहित में नहीं होगा। शुल्क आरोपण से पञ्चप्रवाही उद्योगों की निविष्टि लागत बढ़ेगी, परियोजना लागत में वृद्धि होगी तथा भारतीय विनिर्माताओं एवं अवसंरचना परियोजनाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ट. एंटी-डंपिंग शुल्क के कारण लागत में कोई भी वृद्धि उच्चतर अधिप्राप्ति व्यय की ओर ले जाएगी और ऐसी परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

ट. 2 घरेलू उद्योग के विचार

101. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- क. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि करे कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएँ, एडी नियम, 1995 के नियम 2(d) के अर्थ में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित विषय वस्तुओं की 'समान वस्तु' हैं।
- ख. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह पुष्टि करे कि बी सी एल एवं एस टी एल घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन पात्रता की अपेक्षा को पूरा करता है।
- ग. घरेलू उद्योग यह नोट करता है कि भाग लेने वाले निर्यातक भारत को कुल निर्यात का केवल 11% हैं, और चार भाग लेने वाले निर्यातकों में से तीन ने भारत को केवल पैच कॉर्ड निर्यात किए हैं।
- घ. इन निर्यातकों का ऋणात्मक डंपिंग मार्जिन पूर्णतः असमरूप उत्पादों के परिकलित सामान्य मूल्य/एनआईपी के आधार पर डंपिंग/क्षति मार्जिन के निर्धारण के कारण है।
- ङ. घरेलू उद्योग मुख्यतः कॉपर डेटा केबल का विनिर्माण करता है, तथा बिड़ला केबल लिमिटेड द्वारा बहुत सीमित मात्रा में पैच कॉर्ड (कॉपर डेटा केबल का एक विशेष प्रकार) का विनिर्माण किया जाता है। सामान्य कॉपर डेटा केबलों की तुलना में, जो प्रायः 305 मीटर के बॉक्सों में निरंतर लंबाई में व्यापार किए जाते हैं, पैच कॉर्ड 0.5-1 मीटर लंबाई में बेचे जाते हैं और उपकरणों को जोड़ने हेतु कनेक्टरयुक्त सिरों वाले होते हैं।
- च. सामान्य कॉपर डेटा केबलों की तुलना में पैच कॉर्ड की मूल्य-निर्धारण एवं लागत संरचना में विद्यमान महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए, प्राधिकारी को पैच कॉर्ड और अन्य कॉपर डेटा केबलों के लिए पृथक मार्जिन निर्धारित करने चाहिए थे।
- छ. घरेलू उद्योग का पैच कॉर्ड उत्पादन उसके कुल उत्पादन का 0-1% है, अतः कॉपर डेटा केबलों के लिए समग्र रूप से भारित औसत परिकलित सामान्य मूल्य तथा भारित औसत गैर-क्षतिकारक मूल्य पैच कॉर्ड के वास्तविक सामान्य मूल्य अथवा गैर-क्षतिकारक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता।

- ज. यद्यपि 4 भाग लेने वाले निर्यातकों में से 3 ने केवल पैच कॉर्ड निर्यात किए हैं, इन निर्यातकों को संभवतः उन कॉपर डेटा केबलों के लिए भी शून्य शुल्क की सिफारिश प्राप्त होगी जिनका उन्होंने बिल्कुल भी निर्यात नहीं किया है।
- झ. घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि शुल्क की सिफारिश करते समय प्राधिकारी इस अंतर को ध्यान में रखे तथा इन निर्यातकों के लिए केवल पैच कॉर्ड हेतु शून्य शुल्क की सिफारिश करे, और अन्य कॉपर डेटा केबलों के लिए अवशिष्ट शुल्क इन भाग लेने वाले निर्यातकों पर भी लागू किया जाए।
- ञ. जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तुओं के आयात में आधार वर्ष की तुलना में 187% की वृद्धि हुई, जो भारतीय मांग में वृद्धि से कहीं अधिक तीव्र दर पर थी, यद्यपि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी।
- ट. जांच अवधि में मांग बढ़ने के बावजूद, मांग में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई, जबकि विषय आयातों की तत्संबंधी बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष के एकल अंक से बढ़कर जांच अवधि में लगभग 30% हो गई।
- ठ. यद्यपि जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं घरेलू बिक्री मांग में वृद्धि के अनुरूप बढ़े, यह सुधार केवल बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने हेतु लागत से नीचे बिक्री करके प्राप्त किया गया, और फिर भी संस्थापित क्षमता का 30-40% से अधिक भाग निष्क्रिय रहा।
- ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में तीव्र गिरावट आई है, जांच अवधि में कर-पूर्व लाभ ऋणात्मक हो गया, और कम क्षमता उपयोग तथा बढ़ती मांग के बावजूद क्षति अवधि में उसकी सूची में वृद्धि हुई है।
- ढ. चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तुओं की डंपिंग तथा घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई क्षति के बीच स्पष्ट कारण संबंध विद्यमान है, और किसी अन्य ज्ञात कारक ने ऐसी क्षति नहीं पहुँचाई है अथवा उसमें योगदान नहीं दिया है।
- ण. भाग लेने वाले उपयोगकर्ता, एम्फेनॉल एफसीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी ने सही निष्कर्ष निकाला है कि प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क का उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रभाव अंतिम-उत्पाद के लाभ मार्जिन में 0-5% की कमी तक सीमित होगा, जबकि उपयोगकर्ता उद्योग एंटी-डंपिंग शुल्क को वहन करने पर भी बिक्री पर लगभग 45-55% का लाभ मार्जिन अर्जित करता रहेगा।
- त. भारत में विषय वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है, तथा घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

थ. अनुशंसित एंटी-डंपिंग शुल्क केवल भारतीय घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

ट. 3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

102. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों का परीक्षण किया है। प्राधिकारी नोट करता है कि प्रकटीकरण-पश्चात चरण में की गई कई प्रस्तुतियाँ जांच के दौरान पहले से की गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं, जिनका प्रकटीकरण कथन में पूर्व में ही परीक्षण किया जा चुका है। तथापि, प्राधिकारी ने उन सभी सुसंगत टिप्पणियों पर विचार किया है, जहाँ तक वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और अंतिम निर्धारण के लिए तात्विक हैं।
103. पैच कॉर्ड एवं अन्य कॉपर डेटा केबलों के लिए पृथक शुल्क दर, अर्थात् उत्पाद-श्रेणी-वार शुल्क की सिफारिश हेतु घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि किसी भी चरण पर न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने पीसीएन के निरूपण अथवा उत्पाद-विशिष्ट डंपिंग या क्षति मार्जिन परीक्षण का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण उत्पाद के लिए समग्र रूप से किया जाना है, न कि उत्पाद की पृथक श्रेणियों के लिए, जब तक कि पीसीएन निरूपित न किए गए हों। तदनुसार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों से असहमत है।
104. अन्य हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है, क्योंकि वह क्षति अवधि में अपनी संस्थापित क्षमता एवं उत्पादन बढ़ाने में सक्षम रहा है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने विषय वस्तुओं की भारतीय मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षति अवधि में अपनी संस्थापित क्षमता एवं विचाराधीन उत्पाद उत्पादन में वृद्धि की। तथापि, भारत में पर्याप्त मांग विद्यमान होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता का महत्वपूर्ण भाग अनुपयोगित रहा।
105. यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष एवं जांच अवधि के बीच विषय आयातों की मात्रा में 187% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, 2023-24 एवं जांच अवधि के बीच डंप किए गए आयातों के लैंडेड मूल्य में 51% की गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि लैंडेड मूल्यों में गिरावट के कारण वह अपनी बिक्री लागत से नीचे बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ। इस प्रकार, यद्यपि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा, तथापि यह लागत से नीचे बिक्री करके प्राप्त किया गया।
106. पीबीआईटी एवं पीबीडीआईटी में हुई वृद्धि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि यह सुधार ब्याज लागत में वृद्धि के कारण है, जो मुख्यतः कॉपर की अधिप्राप्ति हेतु कार्यशील पूंजी उधारी से संबंधित है और जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ी है, तथा जो किसी असाधारण या

- असंबद्ध वित्तीय निर्णय का परिणाम नहीं है। तदनुसार, इसे घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, जांच अवधि में घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी गिरावट आई है।
107. अन्य हितबद्ध पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हो रही है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि एस टी एल एवं बी सी एल दोनों अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहे हैं, यद्यपि लागत से नीचे बिक्री करके। इसके अतिरिक्त, विषय वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तुओं के आयात के कारण संचालित रही है, जिनमें 2023-24 एवं जांच अवधि के बीच 51% की गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग के मूल्यों में अल्पीकरण हुआ। तदनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण है।
108. जांच में भाग लेने वाले उपयोगकर्ता उद्योग एम्फेनॉल एफसीआई ने यह दावा किया है कि पाटन-रोधी शुल्क का आरोपण पञ्चप्रवाही उपयोगकर्ताओं की निविष्टि लागत बढ़ाएगा तथा भारतीय विनिर्माताओं एवं अवसंरचना परियोजनाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि एम्फेनॉल ने एम्फेनॉल एफसीआई के आंकड़ों के आधार पर परिकलित एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव पर कोई सारवान टिप्पणी प्रस्तुत किए बिना केवल एक सामान्य कथन दिया है। एम्फेनॉल एफसीआई ने अपनी आर्थिक हित प्रश्नावली में स्वीकारतः यह प्रकट किया है कि वह अंतिम-उत्पाद पर लगभग ***% लाभ अर्जित करती है। ऐसी स्थिति में, शुल्क का आरोपण केवल उपयोगकर्ता उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट लाएगा, जिसे विशाल लाभ मार्जिन को देखते हुए उपयोगकर्ता उद्योग सहजता से वहन कर सकेगा। तदनुसार, प्राधिकारी यह नहीं मानता कि एंटी-डंपिंग शुल्क का आरोपण अंतिम उपयोगकर्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

ठ. निष्कर्ष

109. सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर प्रस्तुतियों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों का परीक्षण करने के पश्चात्, एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:
- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल तथा पैच कॉर्ड” है।
- ख. एंटी-डंपिंग शुल्क के आरोपण हेतु आवेदन एस टी एल एवं बी सी एल द्वारा दायर किया गया था। एस टी एल एवं बी सी एल, एडी नियम, 1995 के नियम 2(b) तथा एडी नियम, 1995 के नियम 5(3) के अर्थ में भारतीय कॉपर डेटा केबल उत्पादन के प्रमुख अनुपात का गठन करते हैं।

- ग. प्राधिकारी ने लेनदेनों के सम्यक् परीक्षण के पश्चात् विषय वस्तुओं के आयात के परीक्षण हेतु डीजी सिस्टम्स आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- घ. विषय देशों के सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन एवं क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। प्राधिकारी नोट करता है कि यद्यपि भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन ऋणात्मक है, तथापि ऐसे निर्यातक विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात का मात्र 11% हैं। अतः उनका व्यक्तिगत मूल्य-निर्धारण व्यवहार आयातों के अत्यधिक बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
- ङ. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान सारवान क्षति झेली है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:
- (i) विषय देशों से डंप किए गए आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है।
 - (ii) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में वृद्धि तथा मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रिय रहा।
 - (iii) विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात का लैंडेड मूल्य आवेदकों के विक्रय मूल्य से नीचे है, जिसके परिणामस्वरूप धनात्मक एवं उल्लेखनीय मूल्य अल्पीकरण हुआ है।
 - (iv) विषय देशों से विषय वस्तुएँ घरेलू उद्योग के मूल्यों का दमन कर रही हैं।
- च. किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है, और घरेलू उद्योग को क्षति भारत में विषय आयातों की डंपिंग के कारण है।
- छ. एंटी-डंपिंग शुल्क का आरोपण वृहत्तर लोकहित में होगा, जैसे किसी हितबद्ध पक्ष ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि शुल्क का आरोपण लोकहित पर अनुपातहीन प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

ड. सिफारिश

110. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच आरंभ की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षों को अधिसूचित की गई, एवं घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, क्षति एवं कारण संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन रोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारण संबंध की जांच आरंभ करने और संचालित करने के पश्चात्, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति की भरपाई हेतु एंटी-डंपिंग शुल्क का आरोपण आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानता है और विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क आरोपित करने की सिफारिश करता है।

111. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए अल्पतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने हेतु डंपिंग मार्जिन एवं क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसके बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क आरोपित करने की सिफारिश करता है। तदनुसार, प्राधिकारी विषय देशों में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि हेतु, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटन रोधी शुल्क आरोपित करने की सिफारिश करता है:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्भव देश	निर्यात देश	उत्पादक का नाम	राशि (US\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	854449	कॉपर डेटा केबल*	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	जेडटीसी टेक्नॉलाजी (सुझोउ) कं. लि.	शून्य
2	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	जिनहुआ गुआनयंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलाजी कं. लि.	शून्य
3	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रिक कं. लि..	शून्य
4	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कं. लि.	शून्य
5	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	क्र.सं. 1 से 4 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	86
6	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	86

* CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल तथा पैच कॉर्ड।

नोट – उपर्युक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा — जिसकी पहचान उसके नाम एवं पदनाम से हो — दिनांकित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नानुसार अंकित होगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक में सम्मिलित, भारत को निर्यात हेतु विक्रीत (मात्रा) (संबंधित उत्पाद) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम एवं पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण एवं सही है।”

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लागू सीमा-शुल्क विधियों एवं विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

112. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम/नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

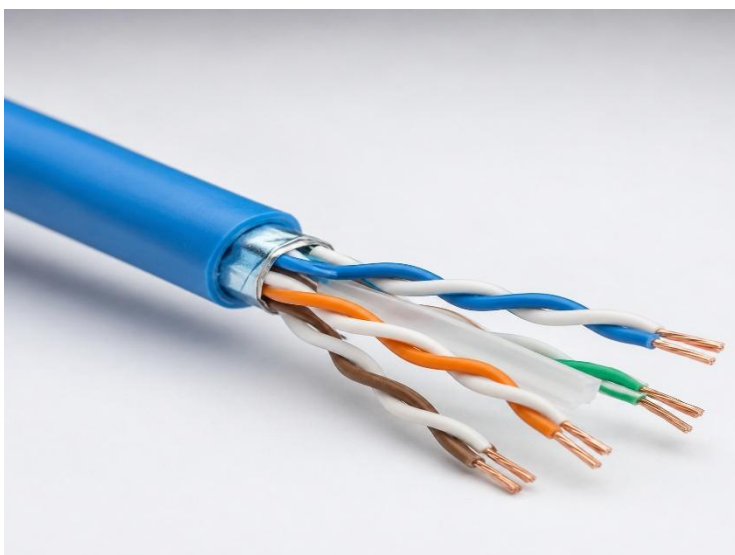
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 16th September, 2026

Case No. AD (OI) – 39/2025

Anti-dumping investigation concerning imports of “Copper Data Cables” originating in or exported from the People’s Republic of China- Final Findings



F. No. 6/44/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, framed thereunder, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “AD Rules, 1995”):

BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s. Birla Cable Limited (“BCL”) and M/s. Sterlite Technologies Limited (“STL”) (hereinafter collectively referred to as ‘applicants’) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Act and the AD Rules, 1995, for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Copper Data Cables”(hereinafter also referred to as the ‘product under consideration’ or the ‘PUC’ or the ‘subject goods’) originating in or exported from the People’s Republic of China (“China” or “PRC”) (hereinafter also referred to as the ‘subject country’).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/44/2025-DGTR dated 18th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation into imports of PUC from the subject country in accordance with Section 9A of Act read with Rule 5 of AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

A.1 Initiation

- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of AD Rules, 1995.
- ii. A request was made to DGCI&S and DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period as well as the period of investigation. The Authority has relied on the DG Systems data for determination of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- iii. In accordance with Rule 6, upon examination of the application and finding prima facie evidence of dumping, injury, likelihood and causal link, the Authority issued a public notice dated 18th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the

anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.

- iv. In accordance with Rule 6(2) of AD Rules, 1995, the Authority sent a copy of the initiation notification to the government of the subject country, through their embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users, the domestic industry, other Indian producers as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limits.

A.2 Period of Investigation

- v. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury investigation period (IIP) covers a period of FY 2021-22, FY 2022-23, FY 2023-24 and the POI.

A.3 Circulation of non-confidential version of the application

- vi. Pursuant to Rule 6(3) of AD Rules, 1995, the Authority furnished a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the government of the subject country, through their embassy in India.
- vii. Pursuant to Rule 6(4), questionnaires were issued to known producers, exporters, importers, and users of the PUC in India to obtain necessary information, including details of normal value and net export price. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

A.4 Participation by the interested parties

- viii. The following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire responses:
- Jinhua Guanyang Electronic Technology Co. Ltd. (“JGET”)
 - ZTC Technology (Shanghai) Co. Ltd.
 - ZTC Technology (Suzhou) Co. Ltd.
 - Ningbo Excellence Communicated Connector Co. Ltd.
 - Zhejiang Chaolian Electronic Co. Ltd.
 - Excellence Wire Industrial Co. Ltd
 - Crxconec Company Ltd
- ix. The following importers/users have responded by filing questionnaire responses:
- Amphenol FCI India Pvt. Ltd.
 - PV Lumens India Pvt. Ltd.
- x. In response to the initiation notification, no association has participated or filed questionnaire submissions in the present investigation.

- xi. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.
- xii. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry.
- xiii. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative.

A.5 Further procedure

- xiv. The non-confidential versions of the submissions filed by the various interested parties were circulated by the interested parties amongst themselves. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with a request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 23rd January 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.
- xvii. In accordance with Rule 7 of AD Rules, 1995, the information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- xviii. In accordance with Rule 8, the accuracy of information and data provided by the domestic industry and interested parties were verified by the Authority during the course of the investigation to the extent considered relevant, practicable, and necessary. The verification of submitted data and documents forms the basis of the final finding and the Authority has relied on the verified data of the domestic industry for its analysis in the present proceedings.
- xix. In accordance with Rule 6(8) of AD Rules, 1995, wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xx. The Authority sought comments on the scope of the PUC and PCN methodology within 15 days of intimation letter sent to the known exporters/importers, etc. dated 6th October 2025. Comments were received from the interested parties seeking enlargement of the scope of PUC, and no comments were received on PCN methodology. However, the Authority noted

that the scope of the PUC cannot be extended beyond the definition considered at the stage of initiation and therefore, vide notification dated 28th October 2025, the Authority notified the scope of PUC and PCN as defined in the initiation notification.

- xxi. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicants and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.
- xxii. All the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent that the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation have been considered.
- xxiii. A disclosure statement dated 08.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of AD Rules, 1995, disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to the disclosure statement received from all interested parties, to the extent found to be relevant and non-repetitive, have been considered in these final findings.
- xxiv. ‘***’ in this document, represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules, 1995.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 85.45.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation of the present investigation, the following was considered as the scope of the product under consideration:

“The product under consideration (hereinafter referred to as "PUC") in the present investigation is “all structured Copper Data Cables including CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and patch cords (hereinafter also referred to as "subject goods"). Copper Data Cable usually comprise of twisted pairs of copper conductors, insulated with polyethylene or other sheathing material, with or without the inclusion of braiding, drain wire, individual and/or overall foil shield, and a separator, used for the transmission of data and signals over local area networks (“LAN”). It includes both shielded and unshielded data cables, which are further categorized based on their performance such as CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and Patch Cord. Copper Data Cables are primarily used as LAN cables for high-speed data transmission, telecommunications, networking, audio-video transmission, etc.”

B.1 Views of other interested parties

5. The following submissions have been made by the other interested parties:
 - i. The scope of PUC should also include CCA (Copper Clad Aluminium) & CCAM (Copper Clad Aluminium Magnesium) cables.

B.2 Views of the domestic industry

6. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:
 - i. The domestic industry has submitted that the Authority confirm the scope of the PUC as per the initiation notification

B.3 Examination by the Authority

7. The PUC in the present investigation is all structured Copper Data Cables including CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and patch cords. Copper Data Cable usually comprise of twisted pairs of copper conductors, insulated with polyethylene or other sheathing material, with or without the inclusion of braiding, drain wire, individual and/or overall foil shield, and a separator, used for the transmission of data and signals over local area networks (“LAN”). It includes both shielded and unshielded data cables, which are further categorized based on their performance such as CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and Patch Cord. Copper Data Cables are primarily used as LAN cables for high-speed data transmission, telecommunications, networking, audio-video transmission, etc.
8. The PUC is classified under Chapter 85 titled "Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles" under HS Codes 854449. The customs heading is indicative only and is not binding upon the scope of the PUC.
9. It is noted that no PCN methodology was proposed by the domestic industry in its application. Through Initiation Notification dated 18.09.2025, the Authority called for comments on the scope of the PUC and PCN methodology from all interested parties. It is noted that comments were received from K.M. Cables Pvt Ltd, & Ariflex Cables seeking clarification of the scope of PUC. However, no comments were received on PCN methodology proposed by the applicants. After examining the submissions, the Authority noted that the scope of the PUC cannot be extended beyond the definition considered at the stage of initiation, and therefore, vide notification dated 28th October 2025, the Authority notified the final scope of PUC, and PCN methodology as defined in the Initiation Notification No. 6/44/2025-DGTR dated 18.09.2025.

10. The Authority notes that there are no known differences between the goods produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable.
11. Therefore, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry in India are “like article” to the subject goods being imported from the subject country, as defined under Rule 2(d) of the Rules. In view of the above the Authority holds that the product under consideration is the same as was defined in the initiation notification dated 18.09.2025, and is as under:

“The product under consideration (hereinafter referred to as "PUC") in the present investigation is “all structured Copper Data Cables including CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and patch cords (hereinafter also referred to as "subject goods"). Copper Data Cable usually comprise of twisted pairs of copper conductors, insulated with polyethylene or other sheathing material, with or without the inclusion of braiding, drain wire, individual and/or overall foil shield, and a separator, used for the transmission of data and signals over local area networks (“LAN”). It includes both shielded and unshielded data cables, which are further categorized based on their performance such as CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A. and patch cords. Copper Data Cables are primarily used as LAN cables for high-speed data transmission, telecommunications, networking, audio-video transmission, etc.”

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1 Views of other interested parties

12. The following submissions have been made by the other interested parties:
- i. The eligibility of STL should be examined under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, 1995 (“AD Rules”) after considering the imports made by them.

C.2 Views of the domestic industry

13. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:
- i. STL has imported only a very small quantity of patch cords from China through its optical networking business division for captive use. Such imports constituted about 0.02% of

total PUC imports into India and less than 0.01% of STL's production and sales, and do not alter STL's status as a domestic producer.

- ii. Mere importation does not render a producer ineligible under Rule 2(b) of AD Rules. Placing reliance upon the decision of the Hon'ble Calcutta High Court in *Gujarat Fertilisers & Chemicals Ltd. v. Additional Secretary and Designated Authority*, it is submitted that the nature and purpose of imports and whether the entity remains predominantly a manufacturer are relevant considerations.
- iii. BCL and STL together account for about 80% of total eligible domestic production and satisfy the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

C.3 Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 defines domestic industry as mentioned below:

'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers'.

15. The present application has been filed by Birla Cable Limited and Sterlite Technologies Limited. Apart from the applicant, there are multiple other producers of the like article in India, namely, Orient Cables India Ltd, Polycab India Ltd., Finolex Cables Limited, Commscope Connectivity India Pvt Ltd and Belden India Pvt Limited.
16. The Authority further notes that STL has imported an insignificant quantity of patch cords, a type of copper data cable from China PR. However, such imports constitute less than 0.01% of STL's total production. This limited import activity does not alter the nature of applicant's business from manufacturer to trader. Accordingly, STL is eligible to be considered as part of the domestic industry for the purpose of the present investigation. BCL has not imported the subject goods. Moreover, neither of the two constituents of the domestic industry are related to any of exporters / importers of the subject goods. Accordingly, BCL and STL constitute a major proportion in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995, and constitute the domestic industry. Further, the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995.

D. CONFIDENTIALITY

D.1 Comments of the other interested parties

17. The other interested parties made the following submissions in this regard:

- i. The domestic industry has failed to make disclosures prescribed under Trade Notice No. 10/2018, including information regarding the volume and value of production of other domestic producers and trends in capacity utilisation.
- ii. The DI has not disclosed the per-unit cost of export sales in trend form and has also failed to provide the NIP calculation in the manner prescribed under the Trade Notice.
- iii. Such non-disclosure prevents meaningful examination of the DI's standing, performance and injury claims and prejudices the right of interested parties to defend their interests.
- iv. Despite objections regarding excessive confidentiality having been raised earlier, the domestic industry neither addressed the objections nor filed a revised non-confidential version rectifying the deficiencies.

D.2 Comments of the domestic industry

18. The domestic industry has made the following submissions in this regard:

- i. The domestic industry has given proper and sufficient reasons for its confidentiality claims in the Statement of Confidentiality. It is submitted that costing and financial data are always business sensitive and cannot be summarised beyond the numbers themselves.
- ii. The Cost Audit Reports contain highly sensitive financial details, including cost allocation methods, depreciation practices, and asset capitalization, disclosure of which would prejudice the domestic industry's commercial interests.
- iii. The domestic industry cannot disclose details of import data as the same is based on third party market intelligence sources, disclosure of which is prohibited under S.135 AA of the Customs Act, 1962.
- iv. The domestic industry has recirculated the correct range of NIP *vide* its submissions dated 10.11.2025.

D.3 Examination by Authority

19. With regard to the confidentiality of the information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“Rule 7. Confidential Information - (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential

basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”

20. The interested parties, in their various submissions, have raised the issues of confidentiality claims by other interested parties. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by the various interested parties in the form of public file.
21. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Comments of the other interested parties

22. The following submissions have been made by the other interested parties:
- i. The Domestic Industry submitted revised Proforma IV-A data following the inconsistencies raised by interested parties. However, the revised data does not address concerns regarding the reliability of STL's information.
 - ii. It is requested that the Authority verify STL's interest cost and profitability data, which were stated to be irreconcilable and potentially incorrect.

E.2 Comments of the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. Domestic industry has raised the issue that Ningbo Excellence failed to circulate the non-confidential version of its questionnaire response to the DI during the oral hearing followed by the written submissions made by the DI and has therefore, requested that its response should be rejected.
- ii. In response to concerns raised during the oral hearing regarding inconsistencies in selling price trends, the DI submitted the individual and combined Proforma IV-A, and a copy of the same was also circulated to all interested parties.
- iii. The increase in STL's interest cost is on account of STL's raw material procurement policy wherein STL's defers payment for the primary raw material copper sourced from its vendors and is recognized as a current liability.
- iv. The interest cost/ per km is less than 5% of the total cost of sales. Accordingly, the same cannot be considered to be a cause of injury of the domestic industry.

E.3 Examination by the Authority

24. The Authority notes that para 22 of the Initiation Notification specifically requires all participating interested parties to circulate the non-confidential version of their responses and submissions to all other interested parties, including the domestic industry. It is noted that Ningbo Excellence has failed to circulate the non-confidential version of its questionnaire response to other interested parties, even after a specific objection raised in this regard by domestic industry in the oral hearing followed by written submissions. The Authority sought specific clarification from Ningbo Excellence and it has provided evidence of circulation of non-confidential version of its questionnaire response to other interested parties, including to the domestic industry.
25. With regards to the irreconcilability of STL's movement of interest cost and profitability data, the Authority notes that STL's interest cost has increased with increase in production. STL has explained that the cost for domestic sales has been arrived at by distributing the total cost of sales into domestic and export sales turnover ratio. With increasing domestic demand, STL's domestic sales turnover increased in absolute terms, leading to greater allocation of interest cost on its domestic sales. It was further explained that this interest cost is primarily related to STL's manufacturing cost i.e., procurement of copper for production of PUC.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

F.1 Comments of the other interested parties

26. The following submissions have been made by the other interested parties concerning the determination of normal value, export price and dumping margin:
- i. The legal basis for applying non-market economy or surrogate country methodology to China was stated to have expired on 11 December 2016. Accordingly, normal value should be determined on the basis of actual Chinese domestic prices and costs, irrespective of whether market economy treatment has been formally claimed.
 - ii. DGTR's continued reliance on Para 7 of Annexure I to the AD Rules and construction of normal value on the basis of the domestic industry's costs is inconsistent with India's WTO obligations. Indian government is bound by the principle of *pacta sunt servanda* and the WTO findings in *EC-Fasteners* in support of the contention that surrogate methodology should not continue after expiry of the relevant provisions of China's Accession Protocol.
 - iii. The verified cost and price data furnished by cooperating Chinese producers should be used for determination of normal value.
 - iv. The dumping margins alleged by the domestic industry are based on estimated ex-factory export prices and landed values and do not reflect the commercial reality of exports made. The actual transaction-wise export prices and landed values furnished by the exporters are significantly higher than the estimates relied upon by the DI and, if they are considered, the dumping margins may be negative or *de minimis*.
 - v. Parties have requested for determination of individual dumping margins on the basis of their own verified data.
 - vi. The DI's aggregate price estimates are not representative of actual figures, as the actual export realisations are substantially higher than the alleged low landed value relied upon by the DI.
 - vii. Privately sourced import data is unreliable and the Authority should rely on DGCI&S data for examination of imports for purposes of dumping.

F.2 Views of the domestic industry

27. The following submissions have been made by the domestic industry concerning the determination of normal value, export price and dumping margin:
- i. China PR continues to be a non-market economy and, in terms of Article 15 of China's WTO Accession Protocol, the burden lies on the participating exporters to establish that market economy conditions prevail. None of the participating exporters have claimed market economy treatment.
 - ii. The Authority should determine normal value for China in accordance with Para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995, on "any other reasonable basis", including the cost of

production of the Indian domestic industry with reasonable additions for administrative, selling and general expenses and profit.

- iii. For construction of normal value, the Authority is requested to consider LME prices along with premium for copper and adjusted international prices for other raw materials.
- iv. The Authority should adopt reasonable profits for constructed normal value, instead of 5% profit.

F.3 Examination by the Authority

28. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

'i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.'

29. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit.

30. The Authority notes that the following producer exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses from China PR:

- a. Jinhua Guanyang Electronic Technology Co. Ltd. ("JGET").
- b. ZTC Technology (Shanghai) Co., Ltd.
- c. ZTC Technology (Suzhou) Co., Ltd.
- d. Ningbo Excellence Communicated Connector Co. Ltd.
- e. Excellence Wire Industrial Co., Ltd.

- f. Crxconec Company Ltd.
- g. Zhejiang Chaolian Electronic Co., Ltd

F.3.1 Determination of Normal Value and Export Price

31. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following.

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

32. The domestic industry has relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of Annexure I to AD Rules, 1995. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the AD Rules.
33. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules, 1995.
34. The Authority notes that none of the participating producers/exporters have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with Paragraph 7 of Annexure I to the AD Rules, which states as follows:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

35. As noted above, Paragraph 7 lays down a hierarchy for determination of normal value with respect to non-market economy and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject country in the present investigation, there are no imports of subject goods into India from other countries. Thus, imports into India from the market economy third country also could not be considered for determination of normal value.
36. Therefore, the Authority has determined normal value for China PR as per “price payable in India” as stipulated in Paragraph 7. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, duly adjusted, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

b) Export price for producers / exporters from China:

37. The cumulative volume reported by all participating exporters is merely 21,988 KM, representing only 11% of the total imports of the PUC from the subject country. Thus, producers/exporters accounting for a major share of exports from the subject country have not participated in the investigation.

i. ZTC Technology (Shanghai) Co., Ltd and ZTC Technology (Suzhou) Co., Ltd.

38. ZTC Technology (Suzhou) Co., Ltd. is a producer-exporter of the subject goods and has exported the subject goods directly and through its related entity ZTC Technology (Shanghai) Co. Ltd, which has also participated in the present investigation.
39. Suzhou has exported *** KM of subject goods to India. The producer exporter has claimed adjustments to its export price on account of inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank fee, whereas its related exporter has exported all goods at ex-works basis. The Authority has accepted the claimed adjustments after due verification. The net export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

ii. Zhejiang Chaolian Electronic Co., Ltd. (“Chaolian”)

40. Chaolian is a producer exporter of the subject goods (patch cords) and has made direct exports of only subject goods during the POI. Chaolian has exported *** KM of subject goods to India. It has claimed adjustments on account of inland transportation, port and other related expenses, credit cost, and bank charges. The Authority has accepted the claimed adjustments

after due verification. The net export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

iii. Ningbo Excellence Communicated Connector Co. Ltd. (“Ningbo Excellence”)

41. Ningbo Excellence is a producer exporter of the subject goods and has made direct and indirect exports of patch cords (a type of copper data cable) during the POI. Ningbo Excellence has also exported subject goods manufactured by other producers as well. However, such other producers have not participated in the present investigation. Accordingly, the Authority has considered only such exports which have been manufactured by Ningbo Excellence for computation of its export price.
42. Ningbo Excellence has exported *** KM of self-manufactured patch cords. Ningbo Excellence has exported the goods through its related traders Excellence Wire and Crxconec Company Ltd. Ningbo Excellence, and its related exporters have claimed adjustments on account of port and other related expenses, credit cost and packing cost. The Authority has accepted the claimed adjustments after due verification. The net export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

iv. Jinhua Guanyang Electronic Technology Co.Ltd. (“Guanyang”)

43. Guanyang is a producer exporter of the subject goods (patch cords) and has made direct exports of subject goods during the POI. Guanyang has exported *** KM of subject goods to India. Guanyang has claimed adjustments on account of inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges. The Authority has accepted the claimed adjustments after due verification, The net export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers

44. The export price for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below. The net export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

F.3.2 Dumping Margin

45. Considering the normal value and the export price as determined above, the dumping margin for the producers of the product under consideration from the subject country has been determined as follows:

Dumping Margin Table

Producer	Normal value (\$/KM)	Export Price (\$/KM)	Dumping Margin(\$/ KM)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin
					(Range)
ZTC Technology (Suzhou) Ltd Co. Ltd	***	***	(***)	(***)	Negative
Zhejiang Chaolian Electronic Co., Ltd.	***	***	(***)	(***)	Negative
Jinhua Guanyang Electronic Technology Co.Ltd	***	***	(***)	(***)	Negative
Ningbo Excellence Communicated Connector Co. Ltd	***	***	(***)	(***)	Negative
Others	***	***	***	***	70-80

G. ASSESSMENT OF INJURY

G.1 Views of other interested parties

46. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to injury and causal link:
- i. The determination of injury must be based on positive evidence and an objective and unbiased examination of the volume and price effects of the dumped imports and the consequent impact of such imports on the domestic industry.
 - ii. The material on record does not establish that the domestic industry has suffered material injury as a consequence of the subject imports.
 - iii. The increase in imports must be viewed in the context of the substantial increase in domestic demand for the PUC. The DI itself was able to increase its domestic sales significantly during the injury period, showing that imports have supplemented the growing demand rather than displaced domestic sales.
 - iv. The increase in imports, either in absolute terms or relative to production or consumption, cannot by itself establish injury unless the imports are shown to have had a consequent adverse impact on the domestic industry.
 - v. Imports have fluctuated in response to market conditions, growth in demand and availability of domestic supply.
 - vi. Significant quantity of imports is made under the Advance Authorisation Scheme for use as raw material in downstream products that are subsequently exported. Such imports should be appropriately considered while assessing their impact.
 - vii. Imports from countries other than PRC have also been present and their effect must be separately examined before attributing injury.
 - viii. The decline in sales of other Indian producers cannot be attributed to imports from China PR when the applicant domestic industry itself has been able to substantially increase its domestic sales during the same period.
 - ix. The DI has failed to establish significant price depression or price suppression. Its cost of sales and net sales realisation have broadly moved in the same direction during the injury period.
 - x. The DI has been able to increase its selling prices while simultaneously increasing its domestic sales volumes. This is inconsistent with the contention that imports have significantly suppressed or depressed domestic prices.
 - xi. A decline in the landed value does not by itself establish injury where the DI has continued to increase its net sales realisation.
 - xii. Price undercutting or price underselling cannot be examined in isolation. Reliance has been placed on the decision of Hon'ble CESTAT in *Bridgestone Tyre Manufacturing vs. Designated Authority*.
 - xiii. The installed capacity has increased during the injury period which indicates continued expansion.
 - xiv. The production has increased substantially during the injury period. The increase in production, along with increased capacity, is inconsistent with the allegation that imports have adversely affected the ability of the DI to produce the subject goods.

- xv. No material deterioration in capacity utilisation attributable to imports has been demonstrated.
- xvi. The domestic sales volumes have increased substantially. Such growth demonstrates that the DI has been able to participate in the growth of the Indian market despite the presence of imports.
- xvii. The increase in domestic sales corresponds with the increase in production and demand and therefore does not indicate any loss of sales attributable to the imports.
- xviii. Inventory does not demonstrate injury. Inventories should be examined in relation to production and sales.
- xix. Data of other domestic producers show a decline in inventories, which is inconsistent with the contention that imports have resulted in an inability to sell domestic production.
- xx. Employment has increased during the injury period.
- xxi. Salaries and wages have also increased.
- xxii. Productivity has improved. Any marginal decline in productivity per employee is attributable to the increase in manpower.
- xxiii. The DI has made substantial investments as reflected in the increase in capital employed net fixed assets and working capital. Such investment is inconsistent with the contention of suffering injury.
- xxiv. Profitability must be examined comprehensively and not just on the basis of profit before tax.
- xxv. Improvement in PBIT and PBDIT shows that the operations of the DI have remained healthy.
- xxvi. Increase in interest costs has affected the profitability of the DI.
- xxvii. Increase in depreciation reflects capital investment and expansion and is another factor affecting profitability which cannot be attributed to imports.
- xxviii. Increase in working capital and financing costs have also contributed to the decline in profitability.
- xxix. Decline in export sales constitutes a separate and independent factor affecting the performance of the domestic industry.
- xxx. DI has recorded growth in capacity, production, domestic sales, employment, wages, productivity and investment, and therefore the overall economic performance.
- xxxi. Adoption of fixed 22% return on capital employed for determination of NIP is excessive and does not reflect present economic conditions. A reasonable return should be based on the DI's actual profitability under normal competitive conditions and during periods unaffected by dumping.
- xxxii. There is no causal link between the subject imports and injury. Any deterioration in profitability is attributable to increased finance costs, depreciation, export performance and other internal or independent factors.

G.2 Views of the domestic industry

47. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link;
- i. DI has been suffering injury on account of dumped imports from China since FY 2023-24. The increase in subject imports has significantly outpaced the growth in Indian demand and the growth in sales.
 - ii. Demand increased substantially over the injury period, imports from China increased manifold and continuously throughout the injury period, with a sharp increase during the POI.
 - iii. Increase in imports cannot be attributed merely to growth in demand. DI has sufficient installed capacity to cater to the domestic demand and there is no demand-supply gap.
 - iv. Large share of the demand since 2022-23 has been captured by imports from China.
 - v. Increase in domestic sales during the POI was driven by growth in demand and does not negate injury. In the absence of dumped imports, the DI could have achieved significantly higher sales and production at fair prices.
 - vi. Imports have increased significantly not only in absolute terms but also relative to domestic production, domestic sales and consumption.
 - vii. Market share of imports increased consistently during the injury period, whereas the market share of DI and other producers declined.
 - viii. Decline in market share, despite significant growth in demand and availability of capacity, establishes adverse volume effect of imports.
 - ix. Improvement in sales should be seen in the context of the prices at which such sales were made. Since FY 2023-24, DI was forced to reduce margins to compete with low priced imports and made loss making sales to retain market share.
 - x. Copper constitutes approximately 70–80% of the cost of Copper Data Cables and is priced with reference to LME prices. Appropriate adjustment for movements in LME prices is necessary while examining domestic costs and prices.
 - xi. Price undercutting from China is positive and significant.
 - xii. Landed value declined substantially and reached its lowest level during the POI. At the same time, cost of sales increased, but net sales realisation could not increase commensurately.
 - xiii. Although production and domestic sales increased during the POI, such increases were substantially lower than the increase in demand.
 - xiv. Significant portion of the installed capacity remained unutilised during the POI despite substantial growth in demand. The DI was unable to fully utilise its available capacity because an increasing portion of the growing demand was captured by dumped imports from PRC.
 - xv. Inventories have increased since 2023-24. Although STL's inventory declined compared to the base year, inventories of both BCL and STL increased from 2023-24 to the POI

- xvi. Profitability, cash profits and return on capital employed deteriorated significantly, particularly since 2023-24, and the DI incurred losses during the POI.
- xvii. Improvement in sales and production came at the expense of profitability.
- xviii. Reliance on improvement in PBIT and PBDIT does not appropriately reflect profitability. Due to STL's raw material procurement, its interest cost is directly influenced by procurement of copper and increases with production. PBT therefore provides a more appropriate measure of profitability, and PBT has deteriorated.
- xix. Increase in STL's interest cost arises from its procurement policy for copper, under which payments to suppliers are deferred and recognised as current liabilities, resulting in lower working capital and higher interest cost. Further, interest cost per kilometre constitutes only *** % of the total cost of sales and cannot explain the injury suffered.
- xx. The increase in working capital and interest costs is broadly associated with the increase in production arising from higher demand and cannot be treated as an independent cause of injury.
- xxi. The decline in sales of other domestic producers is also consistent with the increasing penetration of dumped imports.
- xxii. The decline in export sales is not responsible for the injury suffered in the domestic market.
- xxiii. Imports from other countries do not break the causal link. Apart from China, only Vietnam had meaningful import volumes, and imports from Vietnam did not satisfy the applicable quantitative threshold at the stage of initiation.

G.3 Examination by the Authority

48. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules, 1995.

G.3.1 Volume effect of dumped imports

a) Assessment of demand/ apparent consumption

49. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Assessment of Demand					
Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
China PR - Subject Country	KM	68,730	107,693	64,430	175,552
Non-dumped imports	KM				21,988
Imports from Non-Subject Countries	KM	11,739	12,811	6,145	15,954
Total Imports	KM	80,469	120,504	70,576	213,494
Sales of domestic Industry	KM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	105	138
Sales of other producers	KM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	78	70
Total Demand/Consumption	KM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	97	148

50. It is noted that there has been a significant increase in demand for the subject goods in the POI. The demand has increased almost 48% in the POI compared to the base year. At the same time, volume of subject imports from the subject country has increased by 187%.

b) Import Volumes from the subject country

51. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied upon DG Systems data. The import volumes of the dumped subject goods from the subject country and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI	POI Dumped Imports
China PR - Subject Country	KM	68,730	107,693	64,430	197,540	175,552
Non-subject Countries	KM	11,739	12,811	6,145	15,954	
Total Imports	KM	80,469	120,504	70,576	213,494	
Domestic Industry Sales	KM	***	***	***	***	
Trend	Indexed	100	99	105	138	
Sales of other domestic producers	KM	***	***	***	***	
Trend	Indexed	100	88	78	70	
Total demand	KM	***	***	***	***	
Trend	Indexed	100	106	97	148	
Subject Country imports in relation to						
Total Demand	%	***	***	***	***	***
Range		0-10%	0-10%	0-10%	20-30%	20-30%
Production	%	***	***	***	***	***
Range		10-20%	20-30%	10-20%	40-50%	30-40%
Total Imports	%	85%	89%	91%	93%	92%

52. It is noted that:

- The import volume from the subject country increased in 2022-23, decreased in 2023-24 and has significantly increased thereafter. The volume of imports of subject goods from the subject country is highest in the POI.
- The imports in relation to production and consumption increased in 2022-23, declined in 2023-24 and increased again in the POI.
- The imports of subject goods from the subject country in relation to total imports also increased from 85% in the base year to 93% in the POI. Out of the 93% total imports from China PR into India 86% imports were found to be dumped.

53. Other interested parties have contended that increase in imports was on account of increase in demand for the subject goods during the POI and that such imports have merely supplemented the domestic production of the subject goods. In this regard, the Authority notes that while demand increased by *** % between 2023-24 and the POI, subject imports increased by 207%, i.e., at almost four times the rate of growth in demand. In comparison, the domestic industry's sales increased by *** %. Consequently, notwithstanding the increase in its sales in absolute terms, the Indian industry's share in demand declined substantially from *** % in 2023-24 to *** % in the POI, whereas the share of subject imports increased from approximately *** % to *** %.

54. It is further noted that import prices of imports from the subject country significantly declined between FY 2023-24 and the POI. If imports were merely catering to the incremental demand, then there would be no reason for a decline in the domestic industry's market share. Further, the 51 % decline in landed price between FY 2023-24 and the POI also indicates that producers from subject country intended to capture the domestic industry's market share. Accordingly, it cannot be stated that dumped imports from China PR have merely supplemented the domestic supply of subject goods.

G.3.2. Price Effect of Dumped Imports

55. In terms of para (ii) of Annexure II to the AD Rules, 1995 with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price Undercutting

56. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry, the Authority has compared the landed price of the subject imports with the net sales realisation of the domestic industry during the POI. The price undercutting so determined is provided below:

Price Undercutting					
POI	Landed Price	Net Sales Realisation	Price Undercutting	Price Undercutting	Price Undercutting
	₹/KM	₹/KM	₹/KM	(%)	Range
China PR	***	***	***	***	60-70

57. It is noted that the landed price of the subject imports from China PR during the POI was lower than the domestic industry's net sales realisation. The price undercutting is positive and significant.

b) Price Suppression/ Depression

58. For the purpose of analysing price suppression and depression, the Authority has examined the existence of price suppression and depression after comparing the cost of sales and the net sales realisation of the domestic industry with the landed value of the subject imports from the subject country. The same has been provided in the table below:

Price Suppression/ Price Depression					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of Sales	₹/KM	***	***	***	***
Trend	Index	100	106	104	113
Landed Value	₹/KM	23,044	17,679	24,924	12,288
Trend	Index	100	77	108	53
Selling Price	₹/KM	***	***	***	***
Trend	Index	100	109	104	111

59. The cost of sales for the domestic industry has increased over the injury period with a slight decline in 2023-24. It is noted that during the POI, the landed price of subject imports from China PR was lower than the cost of sales and selling price of the domestic industry. While between the 2023-24 and the POI, the domestic industry's selling price increased from ₹*** /KM to ₹*** /KM, its cost of sales increased from ₹*** /KM to ₹*** /KM. The domestic industry was therefore unable to increase its selling price fully commensurate with the increase in costs and was compelled to sell below its cost of sales during the POI.
60. Other interested parties have argued that the domestic industry has been able to increase its selling price in the POI and that the same has increased with increase in cost of sales and accordingly, there is no injury to the domestic industry. It is noted that the subject imports were significantly undercutting domestic prices at the same time that the domestic industry was unable to recover the increase in its costs. The fact that the domestic industry's NSR and sales volumes increased in absolute terms does not negate these adverse price effects, particularly when demand increased at a substantially higher rate, the domestic industry's market share declined, and subject imports captured an increasing share of the market.
61. The domestic industry has further explained that the subject goods are sold at copper LME + other RM and manufacturing cost. The cost of LME is directly passed onto the customers and hence, the reason for increase in net sales realization of the domestic industry was on account of increase in LME prices. The Authority has verified the same from the data submitted by the domestic industry. It is further noted that despite increase in net sales realization, the domestic industry has been making sales below cost.

G.3.3 Economic Parameters of the domestic industry

62. Annexure II to the AD Rules, 1995 provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital

investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

a. Production, capacity, capacity utilisation, and sales volumes

Production, Capacity, Capacity Utilisation and Sales					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity (PUC+NPUC)	KM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	107	107
Production (PUC+NPUC)	KM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	94	114
Production PUC	KM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	100	126
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Range	%	60-70	50-60	50-60	60-70
Domestic Sales	KM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	105	138

63. It is noted that with the increase in demand, the domestic industry has increased its capacity over the injury period. The production, capacity utilisation and domestic sales of the applicants also increased during the POI compared to the previous years. This increase is in line with the increase in demand of the subject goods.

64. Other interested parties have argued that the domestic industry is not suffering from injury as it has been able to increase its sales volume along with the selling price during the POI. In this regard, the Authority notes that while the domestic industry has been able to increase its sales, such increase in sales was achieved by making sales at prices below cost of sales.

65. Other interested parties have also argued that the domestic industry was able to increase its installed capacity and production during the injury period which indicates that domestic industry's performance was not adversely affected by dumped imports. In this regard, the domestic industry has explained that it had carried out expansion in its capacity in line with the expected increase in Indian demand. Yet, despite having the capacity to cater to entirety of demand, more than 25% of domestic industry's capacity remains unutilized.

66. Further, as stated above, the increase in sales was achieved by making sales below cost of sales of the domestic industry. While between 2023-24 and the POI the domestic industry's sales in absolute terms increased by *** %, the share of subject imports from China PR increased by 207%, thus indicating it was imports of subject goods from the subject country which clearly benefited from the growth in Indian demand.

b. Market Share

67. Market share of the domestic industry and of imports are shown in the table below:

Market Share	2021-22	2022-23	2023-24	POI	POI Dumped Imports
Domestic industry	***	***	***	***	
Range	60-70%	60-70%	60-70%	60-70%	
Other Indian Producers	***	***	***	***	
Range	10-20%	10-20%	10-20%	0-10%	
Subject imports	***	***	***	***	***
Range	10-20%	20-30%	10-20%	20-30%	
Other Country Imports	***	***	***	***	
Range	0-10	0-10	0-10	0-10	

68. It is noted that the market share of the domestic industry has declined in the POI compared to FY 2023-24 despite a significant increase in demand. During the same period the market share of subject imports from China PR has significantly increased. Further, between FY 2023-24 and the POI, the volume of dumped imports from China PR has doubled from *** % to *** % thereby indicating that dumped imports from China PR have displaced the market share of the domestic industry and other Indian producers. Notably, out of the *** % of the market share of the subject imports, *** % of the market share has been captured by the dumped imports.

c. Inventories

69. The inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Inventory					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Average Inventory	KM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	95	107

70. It is noted that average inventory of the domestic industry was highest during the POI.

d. Profitability, cash profits, and return on capital employed

71. Profitability, return on investment, and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Profitability Parameters					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of Sales	₹/KM	***	***	***	***
Trend	Index	100	106	104	113
NSR	₹/KM	***	***	***	***
Trend	Index	100	109	104	111
PBT	₹/KM	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	497	10	(61)
PBIT	₹/KM	***	***	***	***
Trend	Index	100	257	91	113
PBDIT	₹/KM	***	***	***	***
Trend	Index	100	175	93	112
Cash Profit	₹/KM	***	***	***	***
Trend	Index	100	216	69	58
ROCE	%	***	***	***	***
Range	%	0-10	10--20	0-10	0-10

72. From the above, it is noted that:

- PBT has declined in the POI and has become negative.
- cash profits have declined during the injury period.
- While the ROCE of the domestic industry had increased in 2022-23 by *** %, as compared to the base year, it had thereafter declined by *** % in 2023-24 and has remained almost at the same level during the POI.
- The cost of sales of the domestic industry has increased over the injury period. However, cash profit and PBT has declined in the POI as the domestic industry was not able to increase its selling price in line with its increase in cost of sales. The domestic industry has claimed that it has not been able to increase its selling price to the extent of earning a reasonable profit due to the pressure from low priced imports.

73. Other interested parties have argued that injury to the domestic industry is on account of high interest cost of the domestic industry. In this regard, other interested parties have claimed that STL's interest cost has increased significantly even though it has not undertaken any expansion. Further, it has been argued that injury to the domestic industry is on account of abnormal increased cost. In this regard, the Authority notes that the interest cost incurred by STL is primarily attributable to working capital borrowing for procurement of copper (the primary raw material) and is not the consequence of extraordinary or unrelated financial decision. Such borrowings are an integral part of the production process and the day-to-day operations of the domestic industry.

e. Employment, productivity and wages

74. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Labour and Productivity Parameters					
Particulars	UoM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	76	75	96
Wages	₹ Lakhs	***	***	***	***
Trend	Index	100	76	91	148
Productivity per day	KM/day	***	***	***	***
Trend	Index	100	62	64	113

75. It is noted that the salary & wages and productivity increased in the POI in comparison to the 2023-24. The applicants have claimed that the same was on account of increase in production due to increase in demand:

f. Growth

Growth			
Particulars	2022-23	2023-24	POI
Production	***	***	***
Domestic Sales	***	***	***
PBT	***	***	***
ROCE	***	***	***

76. It is noted that:

- i. The domestic sales and production of the domestic industry has shown positive growth in the POI due to increase in demand.
- ii. The profitability parameters of the domestic industry showed a negative growth in the POI compared to the 2022-23.

g. Impact on the ability to raise capital investment

77. The domestic industry has submitted that it has not been able to earn adequate return on profits and therefore, its ability to raise capital investments has been impaired significantly. The domestic industry has also asserted that on account of dumped imports, no new investment is being made as the domestic producers have not been able to earn return on the investments already made.

h. The magnitude of dumping

78. There is significant dumping of the subject goods from the subject country, which has impacted the conditions of fair competition in the market. The Authority notes that while the dumping margin determined for the participating exporters is negative, such exporters account for merely 11% of total imports of the PUC from the subject country. Their individual pricing behaviour is therefore, not representative of the overwhelming majority of imports.

G.3.4 Overall Assessment of Injury

79. The examination of imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows the following:
- a. Imports of subject goods from the subject country have significantly increased in the POI as compared to the base year as well as the previous years. Producers/exporters accounting for a major share of exports from the subject country have not participated in the investigation.
 - b. The volume of imports from the subject country has increased and was at its highest level in the POI.
 - c. The production and domestic sales of the domestic industry have increased in the POI. However, despite a growth in Indian demand, the domestic industry has not been able to take advantage of it as a larger share of such demand was captured by subject imports from the subject country.
 - d. The landed value of subject imports from the subject country in the POI is below the cost of sales and net sales realisation of the domestic industry. There is significant undercutting and price suppression.
 - e. The profitability of the domestic industry has declined in the POI.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS AND CAUSAL LINK

80. The Authority examined whether other factors listed under the AD Rules, 1995, could have caused injury to the domestic industry. The Authority has examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether such factors could have been a cause of injury to the domestic industry, so that the injury caused by other factors, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

81. Imports from subject country constitute more than 90% of total Indian imports into India. Further, imports of subject goods from all other countries are below *de-minimis* level individually. Thus, injury is not attributable to imports from third countries.

b) Contraction in demand

82. The demand for the subject goods has increased in period of investigation. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.

c) Pattern of consumption

83. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

84. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that could have been responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

85. The Authority notes that there has been no change in technology for the production of the subject goods that could have caused injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry

86. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g) Performance of other products

87. The Authority has considered the data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

H.1 Factors establishing causal link

88. While other known factors listed under the AD Rules, 1995, have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by dumped imports.
- i. The volume of subject imports from the subject country have increased during the POI compared to the base year
 - ii. The volume of subject imports from the subject country in relation to Indian production and consumption has increased during the POI.
 - iii. The landed price of imports of subject goods from subject country are below the selling price of the applicants, resulting in positive and significant price undercutting.
 - iv. The imports have suppressed the prices of the domestic industry in the POI
 - v. Dumped imports from the subject country have increased significantly in the POI in both absolute and relative terms.
 - vi. The domestic industry's cash profits and return on investments has declined and has earned negative profits during the POI.
89. The Authority, in view of the aforementioned concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods from the subject country and injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

90. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the AD Rules, 1995 read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules, 1995.
91. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Injury Margin Table

Producer	Non-injurious Price (\$/KM)	Landed Value (\$/KM)	Injury Margin (\$/KM)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
ZTC Technology (Suzhou) Ltd Co. Ltd	Not determined as dumping margin is negative.				
Zhejiang Chaolian Electronic Co., Ltd.					
Jinhua Guanyang Electronic Technology Co.Ltd					
Ningbo Excellence Communicated Connector Co. Ltd					
Other Producers and Exporters	***	***	***	***	50-60

J. DUTY IMPACT ASSESSMENT

Public interest and Domestic Industry Interest

J.1 Views of other interested parties

92. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:

- i. Copper Data Cables are critical inputs for telecom, broadband, data centres, digital connectivity, industrial automation and electronics manufacturing, and imposition of anti-dumping duty would increase input and project costs for these sectors.
- ii. Higher costs would adversely affect digital infrastructure expansion, including the objectives of the Digital India initiative, and may ultimately increase costs for end consumers.
- iii. Imports are necessary to supplement domestic supply and meet the growing demand for the PUC.
- iv. Copper Data Cables are also used in government-funded and public infrastructure projects, and higher prices resulting from duty would increase procurement costs and public expenditure.

J.2 Views of the domestic industry

93. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:

- i. Both STL and BCL possess UL Certification and are capable of supplying UL-certified PUC required by the user industry.
- ii. The claim regarding significant impact of duty is unsupported by any disclosed calculation, as the underlying workings have been kept entirely confidential. In the absence of meaningful disclosure, such claims should not be considered.

J.3 Examination by the Authority

94. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition or continuation of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the continuation of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards

the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

95. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
96. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. Moreover, the imposition of duties may introduce competition concerns domestically but can concurrently stimulate the emergence of new producers within the country.
97. The Authority notes that there is no demand supply gap for the subject goods in India. The Authority further notes that there are multiple producers of the subject goods in India, accordingly, even after imposition of duty, the Indian market would continue to be served by multiple domestic producers, duty-paid imports from the subject country and imports from non-subject countries.

98. Further, the Authority has assessed the impact of proposed anti-dumping duties on end users based on the information provided by participating user importer Amphenol FCI India Private Limited and notes as below:

Total Cost and profit of the end-product manufactured using the PUC	UOM	Per Unit Cost
Total Cost of end product	Rs./Nos.	***
Cost of PUC	Rs./Nos	***
40% ADD	Rs./Nos.	***
Increased cost due to ADD	Rs./Nos.	240-250
Selling price	Rs./Nos.	***
Profit on sales post ADD	%	***
ADD impact	%	0-5%
<i>Source: Amphenol FCI User Questionnaire Response</i>		

99. Based on the above assessment, the Authority notes that the impact of the proposed anti-dumping duty on the user industry would be limited. As demonstrated above, the imposition of the proposed duty would result in an estimated decrease of approximately 0-5% in the profit margin of the end product manufactured using PUC, while the user industry would continue to earn a profit margin of approximately ***% on sales after absorbing the additional cost attributable to the proposed anti-dumping duty. Accordingly, the user industry would be in position to absorb such additional cost without any significant adverse impact on its operation and profitability. The imposition of anti-dumping duty would not restrict imports, create scarcity or impose a disproportionate burden on users. It would only ensure that imports enter India at fair prices and do not cause injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority holds that the alleged adverse impact on users and consumers is unsubstantiated and overstated.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Views of the other interested parties

100. The following submissions have been made by the other interested parties:

- a. JGET requests the Authority to retain the methodology and conclusions reached with respect to dumping margin determination and confirm the same in the final findings.
- b. Ningbo Excellence requests the Authority to confirm its negative margins as determined by the Authority in the disclosure statement.
- c. In the absence of positive dumping margin, the Authority is requested to recommend NIL anti-dumping duties for Zhejiang Chaolian Electronic Co.
- d. ZTC requests the Authority to confirm its negative dumping/ injury margin and recommend NIL duties for ZTC in the final findings.
- e. The domestic industry has not suffered from material injury during the injury period as is evident from the increase in installed capacity and production of the domestic industry.
- f. The domestic industry has been able to maintain a consistent market share of 60-70% during the entirety of injury period which is inconsistent with the claim of injury.
- g. The improvement in production, market share, productivity, and profitability clearly establishes that the Domestic Industry has performed positively during the POI and has not suffered material injury attributable to the subject imports.
- h. The domestic industry is suffering due to internal factors and inter-se competition and any injury to the domestic industry is not attributable to the subject imports.
- i. There are factors independent of the subject imports, including high interest costs, increased working capital requirements, and higher depreciation costs, that have adversely impacted on the profitability of the domestic industry.
- j. The imposition of anti-dumping duties on subject imports would not be in the public interest. Imposition of duties would increase input costs for downstream industries, raise project costs, and adversely impact the competitiveness of Indian manufacturers and infrastructure project.
- k. Any increase in costs due to anti-dumping duties would lead to higher procurement expenditure and could adversely impact the timely execution of such projects.

K.2 Views of the domestic industry

101. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. The domestic industry requests the Authority to confirm its finding that the subject goods produced by the domestic industry are 'like article' to the subject goods imported from China PR in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995
- b. The domestic industry requests the Authority to confirm that BCL and STL constitute the domestic industry and that the application satisfies the requirement of standing.
- c. The domestic industry notes that the participating exporters account for only 11% of total exports to India and out of four participating exporters three have exported only patch cords to India.

- d. The negative dumping margin of these exporters is solely on account of determination of dumping/ injury margin based on constructed normal value/ NIP of non-comparable products.
- e. The domestic industry primarily manufactures copper data cable and a very limited quantity of patch cords (a special type of copper data cable) is manufactured by Birla Cable Limited. Compared to normal copper data cables which are usually traded in continuous lengths of 305m boxes, patch cords are sold in 0.5 – 1 metre length and have connectorized ends meant for connecting devices.
- f. Given the significant difference in pricing and cost structure of patch cords vis-à-vis ordinary copper data cables, the Authority should have determined separate margins for patch cords and other copper data cables.
- g. The domestic industry's production of patch cords constitutes 0-1% of its total production, thus, the weighted average constructed normal value as well as weighted average non-injurious price for copper data cables as a whole does not reflect the actual normal value or non-injurious price for patch cords.
- h. While 3 of the 4 participating exporters have exported only patch cords, these exporters would likely be getting nil duty recommendation even for copper data cables which they have not exported at all.
- i. The domestic industry requests that while recommending the duties, the Authority should factor in this difference and recommend nil duty only for patch cords for these exporters and the residual duty for other copper data cables should be made applicable even to these participating exporters.
- j. The imports of the subject goods from China PR increased by 187% in the POI as compared to the base year, at a rate far outpacing the growth in Indian demand, despite the domestic industry possessing sufficient capacity to meet the entirety of Indian demand.
- k. The domestic industry's market share in demand declined significantly in the POI even as demand increased, with the corresponding market share of subject imports increasing from single digits in the base year to almost 30% in the POI.
- l. While production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry improved in the POI in line with the rise in demand, this improvement was achieved only by selling below cost to retain market share, and more than 30-40% of installed capacity nevertheless remained idle.
- m. The domestic industry's profitability, cash profits and return on capital employed have deteriorated sharply, with profit before tax turning negative in the POI, and its inventories have increased over the injury period despite low-capacity utilisation and rising demand.
- n. There exists a clear causal link between the dumping of the subject goods from China PR and the injury suffered by the domestic industry, and that no other known factor has caused or contributed to such injury.
- o. The Authority on the basis of the data furnished by the participating user, Amphenol FCI India Private Limited, has rightly concluded that the impact of the proposed anti-dumping duty on the user industry would be limited to a 0-5% reduction in the profit margin of the end-product, while the user industry would continue to earn a profit margin of approximately 45-55% on sales even if it absorbs the anti-dumping duty.
- p. There is no demand-supply gap for the subject goods in India, that the domestic industry possesses sufficient capacity to cater to the entirety of Indian demand

- q. The recommended anti-dumping duties seek to only ensure level playing field for the Indian domestic industry.

K.3 Examination by the Authority

102. The Authority has examined the post-disclosure submissions filed by the domestic industry and the other interested parties. The Authority notes that several submissions made at the post disclosure stage are reiterations of submissions already made during the investigation and already examined in the Disclosure Statement. The Authority has nevertheless considered all relevant comments to the extent they are supported by evidence on record and are material to the final determination.
103. With regards to domestic industry' request for recommendation of product category wise duty i.e., separate rate of duty for patch cords and other copper data cables, the Authority notes that at no stage neither the domestic industry or any other interested party had requested for formulation of PCNs or requested for product specific dumping or injury margin examination. Further, the Authority notes that injury/ dumping margin are to be determined for a product as a whole and not for separate categories of products unless PCNs have been formulated. Accordingly, the Authority disagrees with the submissions of the domestic industry.
104. Other interested parties have contended that the domestic industry is not suffering from any injury as it has been able to increase its installed capacity and production over the injury period. In this regard, the Authority notes that the domestic industry increased its installed capacity and PUC production over the injury period consequent to the increase in Indian demand for the subject goods. However, despite sufficient demand existing in India, the significant portion of the domestic industry's capacity remains unutilized.
105. It is further noted that between the base year and the POI, the volume of subject imports has increased by 187%. Further, between 2023-24 and the POI the landed price of dumped imports declined by 51%. The domestic industry has explained due to decline in landed prices, it was forced to make sales below its cost of sales. Thus, while the domestic industry was able to increase its sales, the same was achieved by making sales below cost.
106. With regards to the increase in PBIT and PBDIT, the Authority notes that the improvement is on account of increase in interest cost which is primarily attributable to working capital borrowing for procurement of copper, which has increased with the increased in production of the PUC and is not the consequence of extraordinary or unrelated financial decision. Accordingly, the same cannot be considered a cause of injury to the domestic injury. Further, the domestic industry's cash profits has also declined in the POI.
107. Other interested parties have also argued that the domestic industry is suffering injury on account of inter se competition amongst domestic producers. In this regard, the Authority notes that both STL and BCL have been able to increase their sales, albeit by making sales below cost of sales. Further, the decline in prices of the subject goods has been driven by imports of subject goods from PRC which between 2023-24 and the POI, declined by 51%, thus, undercutting the prices of the domestic industry. Accordingly, it cannot be considered that injury to the domestic industry is on account of inter se competition amongst domestic producers.

108. Amphenol FCI, user industry, participating in the investigation has claimed that imposition of anti-dumping duties would increase input costs for downstream users and adversely impact competitiveness of Indian manufacturers and infrastructure projects. In this regard, the Authority notes that Amphenol has only made a generic statement without presenting any substantive comments on the impact of the anti-dumping duties which was computed based on Amphenol FCI's data. Amphenol FCI, admittedly in its economic interest questionnaire has disclosed that it earns almost ***% profit on the end product. In such a case, imposition of duties would result in only a decline in profitability of the user industry, which given the huge profit margin, the user industry would be able to easily absorb. Accordingly, the Authority does not consider that imposition of anti-dumping would cause any significant impact on the end users.

L. CONCLUSION

109. Having examined the submissions filed by all interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes the following:

- a. The product under consideration in the present investigation is “all structured Copper Data Cables including CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and patch cords.
- b. The application seeking imposition of anti-dumping duties was filed by STL and BCL. STL and BCL account for major proportion of Indian copper data cable production in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995 and Rule 5(3) of AD Rules, 1995
- c. The Authority has relied upon DG Systems data for the purpose of examination of imports of the subject goods, after due examination of the transactions.
- d. The dumping margin and injury margin determined for all participating producers/exporters from the subject countries is negative. The Authority notes that while the dumping margin determined for the participating exporters is negative, such exporters account for merely 11% of total imports of the PUC from the subject country. Their individual pricing behaviour is therefore, not representative of the overwhelming majority of imports.
- e. The domestic industry has suffered material injury during the period of investigation, as is evident from the following:
 - i. The volume of dumped imports from the subject countries has increased in absolute as well as relative terms compared to the base year.
 - ii. Despite increase in domestic industry's installed capacity over the injury period and increase in demand, significant portion of domestic industry's capacity remained idle in the POI.
 - iii. The landed price of imports of subject goods from subject country are below the selling price of the applicants, resulting in positive and significant price undercutting.
 - iv. Subject goods from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry.
- f. No other known factors have caused injury to the domestic industry and injury to the domestic industry is due to dumping of the subject imports into India.

- g. Imposition of anti-dumping duty shall be in the larger public interest, as no interested party has demonstrated that imposition of duty would cause disproportionate adverse impact on public interest.

M. RECOMMENDATION

110. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
111. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, for a period of 5 years, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below:

DUTY TABLE

S.No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Name of Producer	Amount (US\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	854449	Copper data cables*	China PR	Any	ZTC Technology (Suzhou) Co., Ltd.	NIL
2	do	do	China PR	Any	Jinhua Guanyang Electronic Technology Co. Ltd.	NIL
3	do	do	China PR	Any	Zhejiang Chaolian Electronic Co., Ltd.	NIL
4	do	do	China PR	Any	Ningbo Excellence Communicated	NIL

					Connector Co., Ltd.	
5	do	do	China PR	Any	Any producer other than S. No. 1 to 4	86
6	do	do	Any Country other than China PR	China PR	Any	86

** All structured Copper Data Cables including CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and patch cords.*

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.” If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.”

N. FURTHER PROCEDURE

112. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority